पंजीयन संख्या : 68939/98

ज्ञान तत्व

सत्यता एवं निष्पक्षता का निर्भीक पाक्षिक

MAY 2025

अंक - 11

473

राष्ट्रभक्त कौन? पंडित नेहरू या नाथु राम गोडसे?

3

"क्योंकि एक पक्ष गांधी के नाम का विरोधी था तो दूसरा गांधी विचार का। मैं यह कह सकता हूँ कि गांधी की हत्या गोडसे के मूर्खतापूर्ण कार्य का परिणाम थी। गोडसे की इस मूर्खता ने पंडित नेहरू का काम और आसान कर दिया क्योंकि यदि गांधी जीवित रहते तो पंडित नेहरू को परेशानी हो सकती थी।"

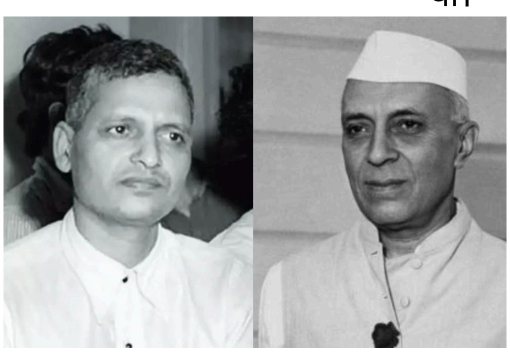

प्रकाशन की तिथि - 31-05-2025 पोस्ट की तिथि - 16-06-2025

सिंहावलोकन

5 नाथू राम का महिमा मंडन

11 राहुल गांधी

12 अमेरिका से भारत तक: विचारधारा के नाम पर हिंसा- ज्ञानेन्द्र आर्य

12 स्वराज बनाम सुराज्य: नारों की असल राजनीति- बृजेश रॉय

7 मुनि जी की पोस्ट

13 जीवन पथ (उपन्यास)

पत्र व्यवहार का पता

बजरंग लाल अग्रवाल पोस्ट बाक्स 15, रायपुर (छ.ग.) 492021

website : margdarshak.info

प्रकाशक, संपादक व स्वामी - बजरंगलाल

9617079344

mail : Support@margdarshak.info

राष्ट्रभक्त कौन? पंडित नेहरू या नाथु राम गोडसे?

बजरंग मुनि
प्रधान संपादक

भारत में दो धारणाएँ लंबे समय से सक्रिय रही हैं। कट्टरवादी हिंदुत्व की अवधारणा और हिंदुत्व विरोधी अवधारणा। स्वतंत्रता संघर्ष में महात्मा गांधी ने उदारवादी हिंदुत्व की अवधारणा प्रस्तुत की, किंतु उपरोक्त दोनों अवधारणाओं का गांधी को समर्थन नहीं मिला। गोडसे कट्टरवादी हिंदुत्व की धारणाओं से ओतप्रोत था, तो पंडित नेहरू हिंदुत्व विरोधी अवधारणाओं के प्रतीक रहे।

व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं: 1. संचालक 2. संचालित। संचालक को अंग्रेजी में मोटिवेटर कहते हैं और संचालित को मोटिवेटेड। जो विचारधारा संचालक की मृत्यु के पश्चात भी बढ़ती जाती है, वह विचारधारा वाद बन जाती है और जो संचालित होते हैं, वे ऐसी विचारधारा के भक्त हो जाते हैं। स्वामी दयानंद, हेडगेवार, गांधी संचालक की श्रेणी में माने जा सकते हैं। इसी तरह, पंडित नेहरू, अंबेडकर, सरदार पटेल, जिन्ना, सावरकर और लॉर्ड माउंट बेटन को भी हम संचालक मान सकते हैं और गोडसे को संचालित। स्पष्ट है कि संचालक बुद्धि प्रधान होता है, संचालित भावना प्रधान। गोडसे किसी विचारधारा से प्रभावित था, नेहरू की अपनी स्वयं की विचारधारा थी। नेहरू ने गांधी के साथ स्वतंत्रता संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, किन्तु नेहरू स्वतंत्रता आंदोलन को छोड़कर किसी भी मामले में कभी गांधी विचारों से सहमत नहीं रहे। गोडसे कट्टरवादी हिन्दुत्व की विचारधारा के प्रति पूर्ण समर्पित था, तो नेहरू किसी के प्रति कभी समर्पित नहीं रहे।

स्वतंत्रता के शीघ्र बाद गोडसे ने गांधी के शरीर की हत्या कर दी और पंडित नेहरू ने विचार किए। गांधी हत्या के साथ गांधी युग भी समाप्त हो गया और गांधी विचार भी। क्योंकि एक पक्ष गांधी के नाम का विरोधी था तो दूसरा गांधी विचार का। मैं यह कह सकता हूँ कि गांधी की हत्या गोडसे के मूर्खतापूर्ण कार्य का परिणाम थी। गोडसे की इस मूर्खता ने पंडित नेहरू का काम और आसान कर दिया क्योंकि यदि गांधी जीवित रहते तो पंडित नेहरू को परेशानी हो सकती थी। गोडसे की मूर्खता ने संघ को भी अल्पकाल के लिए प्रतिस्पर्धा से बाहर कर दिया, जिससे नेहरू जी को और आसानी हो गई।पंडित नेहरू का कार्य ठीक था और नीयत पर हमेशा संदेह रहा। उनका व्यक्तिगत जीवन भी गांधी के विपरीत था तथा सामाजिक जीवन भी। गांधी केंद्रीत और न्यूनतम शासन के पक्षधर थे तो नेहरू केंद्रित और अधिकतम शासन के। गांधी किसी की नकल न करके देश, काल, परिस्थिति अनुसार स्वतंत्र कार्य प्रणाली के पक्षधर थे तो नेहरू पश्चिम या साम्यवाद की नकल करते थे। दूसरी ओर गोडसे का कार्य गलत था किन्तु नीयत ठीक थी।गोडसे की नीयत में अंध राष्ट्रभक्ति थी तो नेहरू की नीयत में व्यक्तिगत और पारिवारिक स्वार्थ भी छिपा हुआ था। नेहरू ने लंबी जेल काटी। इस उम्मीद के साथ कि स्वतंत्र भारत में उन्हें कुछ न कुछ सत्ता का लाभ मिलेगा। दूसरी ओर गोडसे यह जानता था कि गांधी हत्या के बाद उसे फांसी ही होगी, और जीवित रहने का कोई व्यक्तिगत या पारिवारिक लाभ नहीं मिलेगा। प्रश्न उठता है कि दोनों की तुलना में ठीक कौन? यह स्पष्ट है कि गोडसे के कार्य और नेहरू की सोच ने मिलकर देश को अपूरणीय क्षति पहुंचाई और आज तक उसका परिणाम भारत भुगत रहा है। प्रश्न उठता है कि यदि एक पिता ने अपने परिवार के कष्ट दूर करने के लिए किसी ज्योतिषी के समझाने से अपने पुत्र की बलि चढ़ा दी तो उस पिता ने किस सीमा तक गलत किया? एक मूर्ख ने अपने पिता द्वारा बहुत मेहनत से इकट्ठा की गई चंदन की लकड़ी को चाय बनाने में जला दिया तो पुत्र कितना अपराधी? यदि किसी मूर्ख पुत्र ने अपने पिता की गर्दन में लिपटा जहरीला सांप देखकर सांप सहित गर्दन काट दी तो पुत्र कितना अपराधी? यदि गोडसे ने किसी विचारधारा से प्रभावित होकर गांधी हत्या को ही राष्ट्र की समस्याओं का उचित समाधान मानकर उनकी हत्या कर दी तो गोडसे का कार्य कितना गलत माना जाए और नीयत कितनी गलत? यदि किसी व्यक्ति का कार्य गलत होता है तो कानून उसे दंडित करता है। इस तरह गोडसे को कानून के द्वारा फांसी दिया जाना उचित कदम है। किंतु भारत में अभिव्यक्ति की आजादी है। ऐसी आजादी का दुरुपयोग करके कोई संगठन सामान्य युवकों को गलत दिशा में जाने का उत्प्रेरित करे तो ऐसे संगठन की विचारधारा को समाज ही चुनौती दे सकता है, कानून नहीं, सरकार नहीं। दुर्भाग्य है कि भारत में ऐसी विचारधारा भी आज तक विस्तार पा रही है क्योंकि उसे चुनौती देने की अपेक्षा उसकी गलतियों का लाभ उठाने का प्रयास हो रहा है।

गोडसे प्रत्यक्ष रूप से तो सावरकर की विचारधारा से प्रभावित दिखते हैं, किंतु सावरकर इस विचारधारा के निर्माण में किन-किन लोगों के साथ जुड़े थे, यह बात अब तक साफ नहीं हुई है। पटेल एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो गांधी के साथ थे, अन्यथा नेहरू, अंबेडकर, सावरकर और लॉर्ड माउंटबेटन के साथ मिलकर कहीं न कहीं गांधी से मुक्ति भी चाहते थे और डरते भी थे। इन सब में कौन सावरकर के साथ कितना जुड़ा था, यह बात साफ नहीं है, लेकिन यह बात साफ है कि सभी गांधी को नापसंद करते थे। गोडसे ने गांधी को मारकर सबका रास्ता निष्कंटक कर दिया। भारत के लिए आदर्श स्थिति होती कि गोडसे सरीखा देशभक्त बालक गांधी के संपर्क में आया होता,तो आज नेहरू की विचारधारा की तुलना में गांधी की विचारधारा गोडसे के माध्यम से अधिक अच्छी तरह स्थापित हो पाती, परंतु ऐसा नहीं हुआ और गोडसे एक गलत विचारधारा के प्रभाव में चला गया और उसके दुष्परिणाम आज तक हम देख रहे हैं। दोनों ही विचारधाराएं भारत के लिए घातक हैं। चाहे वह गोडसे की हो या नेहरू की। गोडसे से घृणा और नेहरू का महिमामंडन भारत के लिए घातक है। क्योंकि गोडसे की क्रिया गलत थी, नीयत राष्ट्रभक्ति की और नेहरू की क्रिया ठीक थी, नीयत अपने व्यक्तिगत उत्थान की। दोनों की उचित समीक्षा करके भारत को नए मार्ग पर चलना चाहिए। मेरा स्पष्ट मत है कि भारत को कट्टरवादी हिंदुत्व और विदेशों की अंधाधुंध नकल का मार्ग छोड़कर अपने भारतीय यथार्थ को देश, काल, परिस्थिति की कसौटी पर कसकर नया मार्ग तलाशना चाहिए। गांधी हमारे आदर्श थे, हैं और भविष्य में भी मार्गदर्शक बने रहेंगे।

वर्तमान भारत नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत के मार्गदर्शन में ठीक दिशा में चल रहा है। वर्तमान भारत गांधी मार्ग पर चल रहा है, भले ही इस मार्ग में गांधी का कहीं नाम न हो, क्योंकि वर्तमान भारत में गांधी का नाम बहुत अधिक विवादास्पद हो गया है। यह एक शोध का विषय है कि स्वतंत्र भारत में गांधी का नाम इतना विवादास्पद क्यों हुआ। मैंने इस पर गंभीर विचार किया है। सावरकरवादियों के नेतृत्व में आम हिंदू गांधी विरोधी बनता चला गया। दूसरी ओर नई पीढ़ी ने न कभी गांधी को देखा था, न ही पढ़ा। नई पीढ़ी ने तो नेहरू परिवार और गांधीवादियों को ही गांधी समझ लिया, जबकि ये लोग गांधी के नाम पर सिर्फ दुकानदारी कर रहे थे। इनका न कोई गांधी विचार से लेना-देना था, न गांधी के कार्यों से। ये सब तो हिंदुओं के खिलाफ मुस्लिम कट्टरवाद का और अहिंसा के खिलाफ लगातार नक्सलवाद का समर्थन करते रहे। अब कुछ वर्षों से बदलाव दिख रहा है। सावरकरवादियों को भी संघ धीरे-धीरे किनारे कर रहा है और मुस्लिम कट्टरवाद तथा नक्सलवाद को भी समाप्त करके नेहरू परिवार को कमजोर किया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि भारत तीस जनवरी 1948 से आगे की यात्रा शुरू कर चुका है।

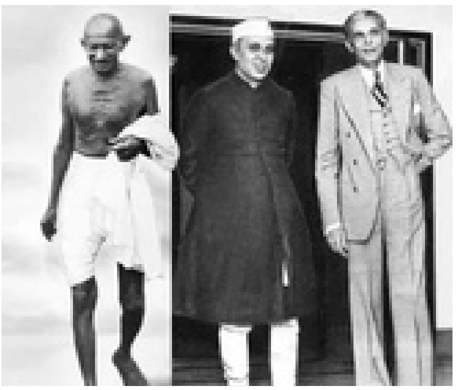

प्रश्नोत्तर

आचार्य पंकज,वाराणसी

प्रश्न:- मैं जानता हूं कि आप अनेक गंभीर तथा विश्वस्तरीय विषयों पर लीक से हटकर मौलिक विचार रखते हैं। मैं यह भी जानता हूं कि आपकी कही कई बातें प्रारंभ में गलत दिखती हैं किन्तु बाद में सत्य सिद्ध होती हैं। किन्तु आपने पंडित नेहरू जैसे देशभक्त की तुलना में नाथूराम गोडसे जैसे हत्यारे को देशभक्त लिखकर पूरी तरह सत्य की अनदेखी की है। पंडित नेहरू ने गांधी जी के कंधे से कंधा मिलाकर स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लिया। कई बार जेल भी काटी। संपन्न परिवार की सभी संभव सुख-सुविधाएँ छोड़कर दर-दर भटकते रहे। दूसरी ओर रहा गोडसे, जिसका स्वतंत्रता संग्राम में कभी कोई योगदान नहीं था। उसने अपने पूरे जीवन में यदि कोई काम किया तो वह था गांधी हत्या का। गोडसे ने यह एक काम छोड़कर देश या समाज के लिए कुछ और किया हो तो आप बताइए। ऐसे व्यक्ति को महिमामंडित करने में आपसे कुछ भूल हुई है, कृपया मार्गदर्शन करें।

उत्तर:- मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ कि स्वतंत्रता के पूर्व पंडित नेहरू का त्याग बहुत ही उल्लेखनीय रहा है। स्वतंत्रता के पूर्व नाथूराम गोडसे का कोई योगदान नहीं रहा और यदि रहा भी होगा तो वह स्वतंत्रता के प्रयासों के विपरीत ही होगा, किन्तु स्वतंत्रता के बाद पंडित नेहरू के सारे प्रयास गांधी विचारधारा तथा समाज सशक्तिकरण के विपरीत रहे। जबकि गोडसे का तो गांधी हत्या के बाद इतिहास ही समाप्त हो गया। मैं मानता हूँ कि गोडसे का कार्य इतिहास के लिए लंबे समय लायक नहीं है। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि पंडित नेहरू ने देश को जो विपरीत दिशा दी, उसके लिए पंडित नेहरू माफ करने योग्य हैं। यदि कोई शराबी शराब के नशे में अपने पिता की हत्या कर दे, तो कानून उस हत्यारे पुत्र को दण्डित करेगा और समाज उस पुत्र को माफ करके शराब के विरुद्ध अभियान चलाएगा, जिससे कोई भविष्य में शराब के नशे में ऐसी गलती न करे। कानून ने गोडसे को सजा दे दी, गोडसे को ऐसा विपरीत कार्य करने के लिए प्रेरित करने वाली विचारधारा 70 वर्षों बाद भी तेजी से फल-फूल रही है और समाज आज सिर्फ गोडसे से घृणा मात्र कर रहा है। निश्चय ही इस विचारधारा के निरंतर विस्तार में न कोई गांधी की भूमिका है और न ही गोडसे की। यदि इसके विस्तार में किसी की गलत भूमिका रही, तो वह पंडित नेहरू, अंबेडकर आदि की ही मानी जा सकती है, जिन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष के लिए गांधी का भरपूर उपयोग किया और स्वतंत्रता के प्रारंभ से ही गांधी विचारधारा को बिल्कुल छोड़ दिया। मैं स्पष्ट कर दूँ कि गांधी के जीवित रहते ही नेहरू, अंबेडकर आदि गांधी की स्वतंत्रता पश्चात की किसी योजना से सहमत नहीं थे। मैं कह सकता हूँ कि वर्तमान में जो दो विपरीत विचारधाराएँ भारत में दिख रही हैं, उनमें एक गांधी का स्पष्ट विरोध करके आगे बढ़ रही है, तो दूसरी गांधी को माला पहनाकर अपने नाम के साथ गांधी शब्द जोड़कर खादी और चरखा का ढोंग करके, तथा गांधी विचारधारा के विपरीत चलकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रही है। क्या यह हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय नहीं है कि दोनों विचारधाराएँ एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हुए भी तथा गांधी विचार विरोधी होते हुए भी निरंतर आगे बढ़ती जा रही हैं और हम किसी तीसरी दिशा में आगे नहीं सोच पा रहे हैं? आप सोचिए कि वर्तमान स्थिति में इन दोनों विचारधाराओं में से मैं किसकी प्रशंसा करूँ और क्यों करूँ?

(5)ईश्वर दयाल, मुजफ्फरपुर, राजगीर (नालन्दा)बिहार-803116

प्रश्न - गोडसे संबंधी आपके विचारों में पूरा 'यूटर्न' देखने को मिला और आचार्य पंकज जी के कथन की पुनः पुष्टि हुई है। गोडसे का कृत्य न कभी प्रशंसनीय था न रहेगा। इसलिए गोडसे के कार्य में देशभक्ति देशप्रेम के प्रयत्न का कोई समावेश हो ही नहीं सकता। (ज्ञान तत्व 154, पृष्ठ 10) सही हो तो "गोडसे के मन में निस्वार्थ देशभक्ति की भावना भरी हुई थी। गोडसे की भावना पर कभी कोई उंगली नहीं उठाई जा सकती" (ज्ञान तत्व 145, पृष्ठ 16) का क्या औचित्य है? यद्यपि 'कार्य' और 'भावना' शब्दों को लेकर खूब शास्त्रीय कलाबाजी दिखाई जा सकती है, जो 'नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता' की 'भावना' व्यक्त कर महिलाओं का कार्य रूप में उत्पीड़न शोषण-दोहन करने वाले, हमारे दोहरे 'बगुला भगत चरित्र' के अनुरूप ही होगा। अतः मैं उस शास्त्रीय विवाद में न पड़कर यह जानना चाहूँगा कि जब उसी महाराष्ट्र के 'चाफेकर बन्धु' आजादी के लिए फांसी पर लटक रहे थे, गोखले, तिलक काले पानी की सजा भुगत रहे थे तो 'निस्वार्थ देशभक्ति की भावना' से भरा गोडसे क्या केवल इसलिए बिल में छुपा बैठा था कि आजादी की लड़ाई जीतने के बाद गांधी की हत्या कर सके। वस्तुतः गोडसे का यह कृत्य भी उसी 'बगुला चरित्र' का परिचायक है जो 'गायकबाड़' सिन्धिया और "बाबर-राणासांगा" के इतिहास में परिलक्षित है। यदि आपके ही उदाहरण को उद्धृत करूँ तो क्या अपने बेटे की बलि चढ़ा देने वाले पिता (ज्ञान तत्व -154) को इस तर्क के आधार पर आप पुरस्कृत करना चाहेंगे कि वह कृत्य उसने बेटे की भलाई की भावना से किया था? नहीं न। तब क्या गोडसे संबंधी आपके उक्त दोनों कथन एक दूसरे को मुंह विराते-से प्रतीत नहीं होते?

यह कहना सही नहीं प्रतीत होता कि गोडसे मोटिवेटेड (प्रेरित) था। जो व्यक्ति गांधी की हत्या की योजना बनाने, उसके लिए सैनिकों (हत्यारों) का चयन करने, संसाधन और विस्फोटक का जुगाड़ करने, सैनिकों (हत्यारों) की यथा स्थान नियुक्ति करने, उन्हें ड्यूटी बांटने के बाद स्वयं सुरक्षित सेनापति की भांति सारे घटनाक्रम पर गंभीर दृष्टि रख रहा हो, उसे 'मोटिवेटेड' (प्रेरित) कैसे कहा जा सकता है? यह बात अलग है कि टीम के सदस्यों की अक्षमता, दायित्वहीनता और मूर्खता ने सेनापति को सुरक्षा कवच से बाहर निकलकर एक्शन के लिए बाध्य कर दिया। यह 'बाध्यता' और एक्शन ही यह प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है कि गोडसे मात्र मोटिवेटेड (प्रेरित) नहीं था। यदि होता, तो अपने अन्य साथियों की तरह 'योजना' से विरत हो जाता। आपने भी गोडसे के किसी 'मोटीवेटर' (प्रेरक) का नाम नहीं दिया है। आप या कोई अन्य 'मोटीवेटर' के रूप में जिस व्यक्ति या शक्ति का नाम संकेतिक करेंगे, गोडसे के उग्र विचारों से उसका अंतर्विरोध स्वतः निरस्त कर देगा। इसके उलट, सारे साक्ष्य इस ओर संकेत करते हैं कि स्वयं गोडसे, गोपाल गोडसे, मदनलाला पहवा, आप्टे, करकरे, बडगे और न जाने कितने लोगों का 'मोटिवेटर' रहा है। इसी कारण न उसका तालमेल आर0एस0एस0 के अप्रतिहत फैलाव को सहसा रोक दिया, हिंदू महासभा को सत्ता प्रतिष्ठान से सदा के लिए दूर कर दिया और सावरकर के पीछे गांधी हत्या का भूत लगा दिया, जो अब भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। शायद छोड़ेगा भी नहीं। यदि वह गांधी के संसर्ग में आया होता, तो अपने कृत्यों से उनकी छवि को भी आहत ही करता, महिमा मंडन का तो प्रश्न ही नहीं है।

वैसे भी 'मोटीवेटर' (प्रेरक) और 'मोटीवेटेड' (प्रेरित) की विभाजक रेखा बड़ी पतली और आपेक्षिक होती है। जो गांधी सारे भारत और विश्व के लिए प्रेरक रहे हैं, वे भी गोखले, रायचंद भाई और टालस्टाय से प्रेरित थे। जिन आचार्य विनोबा भावे को आपने मोटिवेटेड की सूची में रखा है, वे आज भी संसार के हजारों नर-नारियों के लिए मोटीवेटर बने हुए हैं। वस्तुतः मोटीवेटेड/मोटीवेटर का विभाजन बहस या वाद के लिए सैद्धांतिक रूप से तो स्वीकार किया जा सकता है, किंतु व्यवहार में अलग-अलग उनका अस्तित्व न के बराबर है। ऐसा व्यक्ति दुर्लभ है जो मोटीवेटर तो हो, किंतु स्वयं किसी के द्वारा मोटीवेटेड न हो। उसका उलट भी उतना ही सत्य है। अतः इस वायवीय विभाजन को व्यावहारिक जगत में स्वीकार करना कठिन है।

जहां तक अपेक्षाकृत अच्छा प्रधानमंत्री होने या देश का भला करने की बात है, तो यूटोपिया में जीने वाला व्यक्ति स्वयं अपना भला नहीं कर सकता देश और लोक का भला तो बहुत बड़ी बात है।

उत्तर- मनु या अन्य अनेक महापुरूषों के महिलाओं और शूद्रों के विषय में कहे गए कुछ अवांछित विचारों का तो समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ा, किंतु अन्य ढेर सारे अच्छे विचारों का प्रभाव नहीं पड़ा, इस बात से मैं सहमत नहीं।

कहीं ऐसा तो नहीं कि बौद्ध हो जाने के बाद हिंदू धर्म की बुराइयाँ ही प्रचारित करने के पीछे तर्क कम और संकीर्णता अधिक है? मेरी इच्छा है कि सोमानी जी और साक्षी जी कुछ और अधिक व्यापक रूप से सोचकर व्यक्त करें।

किसी पिता ने अपने बेटे की बलि चढ़ा दी, उसे पुरस्कृत करने का तो प्रश्न ही नहीं है। उसे तो दंड होगा ही, किंतु किसी प्रेमिका के प्रेम में फंसकर हत्या करने और भावनाओं से प्रभावित होकर बलि देने के बीच सामाजिक प्रताड़ना में अंतर होना चाहिए। एक दया का पात्र है और एक घृणा का। गोडसे मोटिवेटर था या मोटिवेटेड, इस संबंध में मेरे पास पहले दिए गए तर्कों से कोई भिन्न तर्क नहीं है।

इस विषय पर बहुत व्यापक विचार मंथन ज्ञान तत्व के माध्यम से हो चुका है। यदि कुछ नए विचार आएं तो हम मंथन करेंगे, अन्यथा इस विषय को अब रोककर नए विषय पर चर्चा को विस्तार देना उचित होगा। आशा है कि आपका नए विषय पर भी ऐसा ही सहयोग मिलेगा।

नाथू राम का महिमा मंडन

प्रश्न - नवम्बर के मध्य गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे की फांसी की वर्षगांठ हुई। पता चला कि कुछ हिन्दू महासभा के लोगों ने गोडसे के इस कृत्य की प्रशंसा में विचार व्यक्त किए। इस मुद्दे पर संघ के एक पदाधिकारी ने हिन्दू महासभा के इस कार्य की आलोचना की। लेकिन आम तौर पर संघ इस आलोचना से किनारे रहा। इस संबंध में आप क्या सोचते हैं?

उत्तर - मैं हमेशा से मानता रहा हूँ कि नाथूराम गोडसे ने गांधी की हत्या का जो कुकर्म किया वह किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता। गोडसे का कार्य हिन्दुत्व से पूरी तरह विपरीत था, कायरों के समान था, तथा देश और समाज को लंबी क्षति पहुँचाने वाला था। गोडसे ने जिस विचारधारा से प्रभावित होकर यह कृत्य किया, उस विचारधारा का अब तक भारत में अस्तित्व है। यह हम सबके लिए विशेषकर हिन्दुओं के लिए शर्म का विषय है। मेरा तो मत है कि जिस तरह दशहरे के दिन प्रतिवर्ष रावण को जलाकर नई पीढ़ी को एक संदेश दिया जाता है, उसी तरह प्रतिवर्ष गोडसे को भी प्रतीकात्मक फांसी का आयोजन करके नई पीढ़ी को यह संदेश दिया जाए कि वह ऐसे जहरीले प्रयास से बचें। मैं मानता हूँ कि गोडसे स्वयं संचालित नहीं था और किसी अन्य विचारधारा के प्रभाव में आकर उसने ऐसा कुकृत्य किया। फिर भी चूंकि यह कुकृत्य गोडसे के द्वारा किया गया, इसलिए फांसी तो गोडसे को ही होनी थी। भले ही गोडसे को प्रेरणा देने वाले वर्ग का भी इतिहास कलंकित क्यों न रहे। जहां तक संघ का सवाल है, तो संघ और हिन्दू महासभा में आसमान-जमीन का फर्क है। हिन्दू महासभा जिस सीमा तक आगे जाकर उग्रवाद तथा आतंकवाद का समर्थन करती है, संघ उस सीमा तक कभी नहीं जाता। मैं जानता हूँ कि संघ के लोगों ने पूर्व में गांधी को प्रातः स्मरणीय मानते हुए भी कभी गांधी विचार को पसंद नहीं किया। किन्तु यह भी सच है कि नापसंद होते हुए भी संघ ने कभी गांधी हत्या का समर्थन नहीं किया। वैसे वर्तमान में संघ ने जो प्रतिक्रिया दी है, वह ठीक होते हुए भी अपर्याप्त है। वास्तव में तो संघ जब तक गोडसे के कृत्य की स्पष्ट निंदा नहीं करता, तब तक संघ बेदाग नहीं कहा जा सकता। यह कहना पर्याप्त नहीं है कि गोडसे को ऐसा नहीं करना था अथवा गोडसे संघ का स्वयं सेवक नहीं था। आज भी संघ के कार्यकर्ता प्रत्यक्ष रूप से गांधी को सम्मान देते हैं और अकेले में उनकी हत्या की आलोचना करते हुए भी किंतु परंतु लगाकर गांधी का अप्रत्यक्ष विरोध करते हैं।

श्री ईश्वर दयाल जी, राजगीर, नालन्दा, बिहार,

प्रश्न- नाथू राम विनायक गोडसे के संबंध में आपके विचार लोगों में विशेषतः गांधी जन में खलबली तो पैदा कर सकते हैं, आपको सस्ती लोकप्रियता या लीक से हटकर सोचने का वहम पैदा कर सकते हैं, परंतु सत्य के दर्शन नहीं करा सकते। गोडसे के मन में निःस्वार्थ तो क्या, स्वार्थयुक्त भी देशभक्ति की भावना लेशमात्र नहीं थी। क्या आप एक भी उदाहरण गोडसे के जीवन से दे सकते हैं, जिससे उसकी देश या राष्ट्र भक्ति की भावना का परिचय मिलता हो? सचमुच गोडसे की भावना पर कभी कोई उंगली नहीं उठाई जा सकती है, परंतु उस भावना का संबंध 'राष्ट्र' से बिल्कुल नहीं था, उसका संबंध केवल और केवल 'हिंदू राज्य' से था, आपने लिखा भी है, और चर्चा में तो प्रायः दुहराते हैं कि गोडसे नेहरू की जगह भारत का प्रधानमंत्री होता तो इस देश का इतिहास कुछ और ही होता। स्वतंत्रता की लड़ाई में पूरा नेहरू परिवार जेल में था। आपको इसका भी खुलासा करना चाहिए कि गोडसे देश की आजादी के लिए कितने मिनट तक जेल गया या आजादी की लड़ाई में उसका योगदान क्या था, प्रकट या गुप्त। गोडसे के प्रधानमंत्री बनने पर इतिहास सचमुच कुछ और होता - देश सीधे 16वीं शताब्दी में पहुंच जाता। वस्तुतः वह पुणे की मृत पेशवाशाही की लाश का बजबजाता कीड़ा था, जिसके पास न तो कोई चिंतन था, न कोई दृष्टि। बस हिंदू राज्य, या पेशवासाही की पुनर्स्थापना का लालबुझक्कड़ी सपना था।

यह बात भी काबिले-गौर है कि जिस पाकिस्तान की अभिकल्पना को मुहम्मद अली जिन्ना ने 'एक असंभव सुन्दर सपना कहकर नकार दिया था, उसे इन्हीं हिन्दू राज्य या पेशवाशाहों ने नैतिक और सैद्धांतिक समर्थन दिया था। हिन्दू राज्य या पेशवाशाही की स्थापना में इन कुढ़मगजों को गांधी साफ-साफ बाधक नजर आ रहे थे। गांधी पर इन पेशवाशाहों द्वारा कम से कम छः हमले तो जरूर हुए थे और उनमें से तीन में तो गोडसे प्रत्यक्षतः शामिल था, शेष के बारे में विश्वासपूर्वक नहीं कह सकता। गोडसे जब पहली बार छुरा लेकर गांधी पर हमला करने गया था, तब उसके बयान में दर्शाए गए बाईस के बाईस बिंदुओं में से एक भी कारण उपस्थित नहीं था। क्या आप या कोई और इस पर प्रकाश डालना चाहेंगे कि "निस्वार्थ देशभक्त" गोडसे गांधी को छुरा मारकर देश का कौन सा हित साधना चाहता था? शायद आप इस पर भी प्रकाश डालना पसंद करें कि गोडसे और उसके पेशवाशाही साथियों ने कितने अंग्रेजों और उनके गुर्गों को यमलोक पहुंचाया, या उन पर हमला करने का साहस भी दिखाया? कायरता सदा अपने नख-दंत साफ्ट टारगेट पर ही आजमाती है।

उत्तर - आपने गोडसे के विषय में जो कुछ लिखा, उससे मैं सहमत हूँ। मैंने पूर्व में भी कई बार ज्ञानतत्व में लिखा है कि गोडसे एक कायर व्यक्ति था, या गोडसे ने कभी स्वतंत्रता संघर्ष में भाग नहीं लिया, या गोडसे ने गांधी की हत्या करके एक ऐसी भूल की जिसका परिणाम आज तक हम भुगत रहे हैं आदि-आदि। गोडसे का कृत्य न कभी प्रशंसनीय था, न रहेगा। इसलिए गोडसे के कार्य में देशभक्ति, देशप्रेम के प्रयास का कोई समावेश हो ही नहीं सकता। पंडित नेहरू ने अपने जीवन काल में अनेक अच्छे कार्य किए हैं। वे स्वतंत्रता के संघर्ष में भी शामिल रहे, यह सब कुछ सही है। गांधी हत्या में पाकिस्तान निर्माण या मुस्लिम तुष्टीकरण का कोई योगदान नहीं था, इस बात से भी मैं सहमत हूँ। गांधी हत्या के जो पहले प्रयास हुए, वे सब हिंदू-मुस्लिम विचारधारा से प्रेरित न होकर हिंदू राष्ट्र से प्रेरित थे, यह बात भी सही है। लेकिन यह हिंदू राष्ट्र की अवधारणा गोडसे की न होकर सावरकर की थी, जिसमें कहीं न कहीं लॉर्ड माउंटबेटन का भी हाथ था। बाद में जब अन्य अनेक लोगों ने गांधी विरोध के प्रति सहमति दिखाई, तब गांधी हत्या का कार्य संपन्न हुआ। यह एक गंभीर प्रश्न है कि जब तक अंग्रेज शासन था, तब तक गांधी हत्या नहीं हो सकी और नेहरू के प्रधानमंत्री बनते ही गांधी की हत्या हो गई।

विचारणीय बिंदु कुछ और है। एक पिता किसी धूर्त के चक्कर में पड़कर अपने ही बेटे की गर्दन काटकर देवी पर चढ़ा देता है। उस पिता का यह कार्य कानूनी भाषा में अपराध है और सामाजिक भाषा में भूल। आप इस बात पर विचार कीजिए कि गोडसे स्वयं संचालित था या किसी अन्य के द्वारा। मोटिवेटेड गलती करता है और मोटिवेटर गलती कराता है तो दोनों के कृत्य एक समान नहीं माने जा सकते। आज सम्पूर्ण विश्व में अनेक मुस्लिम आतंकवादी धर्म के नाम पर अपनी जान दे रहे हैं और दूसरों की ले रहे हैं। ये सब लोग किसी षड़यंत्र मस्तिष्क द्वारा या किसी आतंकवादी विचारधारा द्वारा संचालित होते हैं, वे लोग स्वयं संचालित नहीं हैं। हमें यह सोचना होगा कि गोडसे ने जो कुछ राष्ट्रभक्ति के नाम पर किया, वैसा तो आज धर्मभक्ति के नाम पर भी हो रहा है। तय करना होगा कि अधिक समाज विरोधी संचालक को माना जाए या संचालित को। गांधी हत्या में संचालन किसी संकीर्ण विचारधारा का था, न कि गोडसे का। वह तो एक प्रकार की जीवित मशीन के समान काम कर रहा था।

जो स्थिति गोडसे की थी, वह नेहरू की नहीं थी। नेहरू मोटिवेटेड न होकर स्वयं में मोटिवेटर थे। गोडसे अपने मोटिवेटर के प्रति पूर्ण ईमानदार था। उसे अपने कार्य में ही सम्पूर्ण देशभक्ति दिखलाई दे रही थी। नेहरू ने स्वतंत्रता के बाद देश को गुमराह किया, उसमें नेहरू का

स्वार्थ अधिक था और त्याग शून्य। नेहरू कभी गांधी विचारधारा के प्रति समर्पित नहीं रहे। गांधी की हत्या होते ही नेहरू जी ने जिस तरह गांधी जी के लोक स्वराज्य और ग्राम स्वराज्य के साथ धोखा किया, वह किसी भी तरह छोटा अपराध नहीं है। नेहरू जी ने योजनाबद्ध तरीके से विनोबा जी को गुमराह किया, जो आज तक जारी है। आज भी सर्वोदय नेहरू विचारधारा से उबर नहीं पाया है। आज तक गांधी के बाद भारत में कोई दूसरा गांधी नहीं बन पाया। सारी दुनिया में गांधी स्थापित हो रहे हैं, किंतु भारत में विस्थापित इसलिए हो रहे हैं कि यहां गांधी के नाम पर नकली गांधीवाद को स्थापित किया जा रहा है। गांधी की अवधारणा न्यूनतम शासन की है, और यदि राज्य ऐसा न करे, तो अहिंसक संघर्ष की है, जबकि नेहरू की भूमिका अधिकतम शासन की है, जिसके लिए अहिंसा के नाम पर कायरता का विस्तार आवश्यक है। वर्तमान समय की सबसे बड़ी समस्या अहिंसक कायरता और हिंसक संघर्ष के दो विपरीत विचारों के बीच प्रतिस्पर्धा है, जिसका एक पक्ष गांधीवादियों का नेहरू मॉडल के साथ जुड़ा है, तो दूसरा नक्सलवादियों तथा संघ परिवार के साथ। बीच में गुलाम समाज गुलामी के दो ध्रुवों के बीच तमाशा देख रहा है।

गांधी, नेहरू, पटेल, जय प्रकाश आदि स्वयं संचालक रहे हैं और विनोबा जी या गोडसे आदि संचालक न होकर संचालित थे। विचार यह करना है कि संचालित द्वारा पूरी ईमानदारी से संचालक के पक्ष में किए गए गलत कार्य में संचालक का कितना दोष माना जाए और संचालित का कितना। मैंने तो अपनी विवेचना में मात्र इतना ही लिखा है कि यदि नेहरू की अपेक्षा गोडसे सरीखा ईमानदार व्यक्ति गांधी जी द्वारा संचालित हुआ होता तो आज देश की ऐसी दुर्गति नहीं होती जैसी आज है। मैंने अपने संपूर्ण लेख में गोडसे और नेहरू के कार्यों की तुलना नहीं की है। बल्कि सिर्फ नीयत की है। कार्य और उसके परिणामों के विषय में नेहरू के साथ गोडसे की तुलना ही बेकार है जैसा आपने कहा है और नीयत के विषय में गोडसे के साथ नेहरू की तुलना बेकार है जैसा मैंने कहा है। आशा है कि आप अपने कथन पर फिर से विचार करेंगे।

भेरुलाल जैन, हुबली, कर्नाटक(323052)

दृष्टिकोण- ज्ञान तत्व अंक 461 पेज 28 पत्रोत्तर भेरूलाल जैन। उपरोक्त विषय पर आपने अपनी असहमति जताई। पत्रोत्तर एवं असहमति हेतु धन्यवाद। इस संबंध में मेरा विचार कुछ अलग है। आप स्पष्ट करने की कृपा करें।

1) सरकारी कर्मचारी जनता के कार्य एवं तंत्र को सुचारू रूप से चलाने हेतु नियुक्त हैं।

2) यह अव्यवहारिक है। अगर सरकारी कर्मचारी काम नहीं करेगा तो कौन करेगा?

3) आज न्यायालयों में अनेक मामले अटके पड़े हैं, जनता के कार्यों के लिए कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते हैं, आदि, जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं।

4) कार्य सीमित ही रहना चाहिए। मेरा कहना है कि कार्य होना चाहिए।

5) सरकारी कर्मचारी अपने कर्तव्य को समझें। मात्र अफसर या अधिकारी न बनें।

6) गांधीजी का ग्राम स्वराज्य का विचार अति उत्तम था। ग्राम स्वराज्य तभी संभव है जब जन-जागरण होगा। जागरूक नागरिक ही राजनीतिक अन्याय और सत्ता सशक्तिकरण को रोक सकता है। 7) जनप्रतिनिधि या नेता कुछ गलत करते हैं तो उन्हें पद से हटाया जाए। यह अधिकार जनता के पास हो। मान्यवर, इस पर भी जूम चर्चा हो। लोकतंत्र-लोक स्वराज्य-ग्राम स्वराज्य से ही संभव है। धन्यवाद।

उत्तर- हम सब मिलकर देश का निर्माण करें। मैं आपसे सहमत हूं कि सरकारी कर्मचारी जनता के कार्य करने के लिए ही नियुक्त हैं और उन्हें कार्य करना भी चाहिए। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि कार्य होना चाहिए, अन्यथा भ्रष्टाचार बढ़ता है। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि सरकारी कर्मचारी के मामले में राजनेताओं का कोई हस्तक्षेप होना चाहिए। राजनेताओं को सिर्फ कानून बनाने तक ही सीमित रहना चाहिए। वर्तमान समय में सरकारी कर्मचारियों की तुलना में राजनेताओं का भ्रष्टाचार कई गुना अधिक हो गया है। इसलिए मैं आपके इस सुझाव से सहमत नहीं हूं। गांधी जी का ग्राम स्वराज ही इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान है। इस विषय पर चर्चा के लिए आप कभी चर्चा में जुड़े तो बात हो सकती है।

सत्यपाल शर्मा, बरेली, उत्तर प्रदेश

दृष्टिकोण- भगवान रूपी संविधान को जेल खाने से मुक्त कराने के लिए आपके नेतृत्व में संचालित विचार क्रांति अभियान देर-सवेर अवश्य सफल होगा। आज देश में सभी राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना है। आपका यह विचार कि कोई भी अपराधी दंड से बच न सके, यदि न्यायालय से दोष मुक्त होने पर भी सामाजिक अपराधी माना जाए, गंभीर अपराध में खुली फांसी देने में भी संकोच नहीं हो। आज केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारें अपने-अपने विकास कार्यों का मीडिया द्वारा खूब प्रचार करके यश प्राप्त करना चाहती हैं। सांसद और विधायक अपनी-अपनी पार्टी के अनुशासन में बंधे हैं और अपनी स्वतंत्र राय देने से डरते हैं।

प्रयागराज में कुंभ का आयोजन प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्य सरकार तथा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और हिंदुओं के सहयोग से पूर्ण रूप से सफल रहा। इस विराट भव्य आयोजन को देखकर दुनिया चकित रह गई। हिंदुस्तान में जिस स्थान पर हिंदू कम हैं और मुसलमान ज्यादा हैं, वहां हिंदुओं के साथ बर्बरता, अत्याचार और उत्पीड़न होता है। इसका ताजा उदाहरण बंगाल है, जहां निर्दोष हिंदुओं की हत्याएं हुई, उनकी संपत्ति और मकान जलाए गए, और महिलाओं के साथ अत्याचार हुए। ऐसे समय में केंद्र सरकार को तुरंत कठोर कार्यवाही करनी चाहिए। नए अपराध कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में नाम मात्र के कुछ प्रावधान नए जोड़े गए हैं। शेष सभी पुराने कानून की नकल है; केवल कानूनों का नाम बदल गया है। न्यायालयों में करोड़ों मुकदमे लंबित हैं। वर्तमान व्यवस्था में न्याय पाना बहुत मुश्किल है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। बढ़ती जनसंख्या, नशाखोरी, नैतिक पतन, और संवेदनहीनता बढ़ती जा रही है।

उत्तर- आपने जो लिखा उसमें मेरी सहमति है। मैं पांच प्राथमिकताओं को महत्वपूर्ण मानता हूं-1) लोक स्वराज्य। 2) अपराध नियंत्रण की राज्य द्वारा गारंटी। 3) आर्थिक असमानता में कमी। 4) श्रम सम्मान वृद्धि। 5) समान नागरिक संहिता। मैं भारतीय संविधान के प्रमुख उद्देश्यों में इन पांच को महत्वपूर्ण स्थान देना चाहता हूं। मेरे विचार से इन पांचों का क्रम भी इसी प्रकार रहना चाहिए। इस क्रम में कोई भी बदलाव ठीक नहीं है। अपराध नियंत्रण में न्यायपालिका की भी बराबर की भूमिका होनी चाहिए। प्रयागराज के कुंभ के सफल आयोजन का श्रेय सरकार की तुलना में भारतीय हिंदू जीवन पद्धति को अधिक दिया जाना चाहिए। मैं आपसे सहमत हूं कि वर्तमान भारत में अब कश्मीर और असम में शांति स्थापित होने के बाद पश्चिम बंगाल पर ही अधिक ध्यान देने की जरूरत है। स्वतंत्रता के पूर्व हमारी सांप्रदायिकता में भी बंगाल की भूमिका अधिक रही है और आज भी अधिक है, इसका समाधान भी खोजा जाना चाहिए। वर्तमान समय में भारत की न्यायपालिका समस्याओं के समाधान में सबसे अधिक बाधक है। इसके समाधान के रूप में और अधिक शक्तिशाली सरकार की जरूरत है, जो भारत की आम जनता ही पूरा कर सकती है।

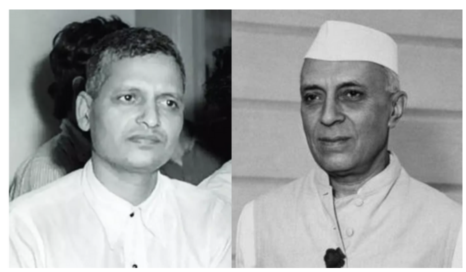

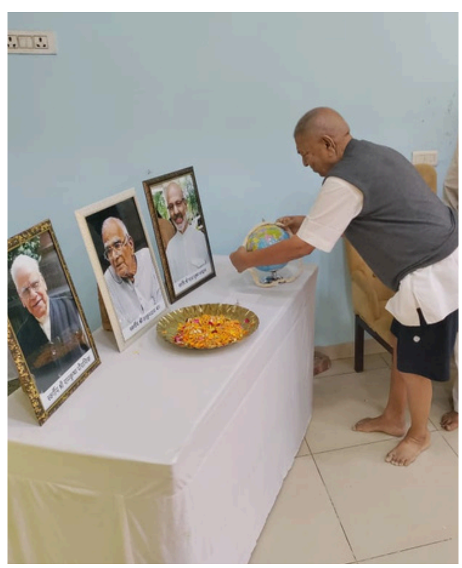

मुनि जी की पोस्ट

1 सारी दुनिया में शिक्षा का महत्व बढ़ रहा है और ज्ञान का घट रहा है। यही कारण है कि दुनिया में व्यक्तिगत स्वार्थ भी बढ़ रहा है। ज्ञान हमेशा संतुलन बनाता है, शिक्षा हमेशा भौतिक विकास की तरफ आकर्षित करती है। शिक्षा श्रम शोषण के नए-नए तरीके खोजती है, ज्ञान श्रमजीवियों को भी मानव समाज का महत्वपूर्ण अंग मानता है। शिक्षा व्यक्ति को व्यक्तिगत उन्नति की तरफ आकर्षित करती है, ज्ञान सामूहिक उन्नति की तरफ मोड़ देता है। व्यक्ति को ज्ञान मिलता था परिवार व्यवस्था से, लेकिन परिवार व्यवस्था को नियंत्रित करके राज्य व्यवस्था मजबूत हुई और राज्य व्यवस्था ने शिक्षा को महत्वपूर्ण बनाया, ज्ञान को किनारे कर दिया। अब हम नई समाज व्यवस्था में परिवार व्यवस्था को मजबूत करेंगे, परिवारों को अनिवार्य बनाएंगे, जिससे व्यक्तिगत स्वार्थ की जगह व्यक्ति के मन में सामाजिकता का भाव जगह बनाए। बचपन से ही व्यक्ति को ज्ञान का महत्व समझाया जाएगा।

2 नई समाज व्यवस्था में सूचना और शिकायत इन दोनों में अंतर किया जाएगा। दोनों के बीच यद्यपि बहुत मामूली फर्क होता है, लेकिन वह फर्क नहीं समझने के कारण अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। किसी भी व्यक्ति को यह स्वतंत्रता होगी कि वह न्यायालय या सरकार को किसी भी विषय पर कोई भी सूचना दे सकता है। उस सूचना पर कार्यवाही करना या नहीं करना यह सूचना पाने वाले पर निर्भर करता है, देने वाले पर नहीं। सूचना देने वाले ने सूचना देकर अपना पूरा काम समाप्त कर लिया है। लेकिन यदि कोई शिकायत होती है, तो शिकायत पर सरकार या न्यायालय कार्यवाही करेगा। यह बात अवश्य ध्यान में रखी जाएगी कि शिकायत वही व्यक्ति कर सकता है जिसके हित प्रभावित हो। जिस व्यक्ति के हित प्रभावित नहीं होते, वह व्यक्ति किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं कर सकता। वर्तमान भारत में हर ऐरा गैरा नथू खैरा शिकायत लेकर पहुंच जाता है। इस तरह जनहित याचिकाओं का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। जनहित याचिकाएं आप न्यायालय में दायर नहीं कर सकेंगे। यदि आपकी शिकायत झूठी पाई जाती है, तो इसके लिए नियमानुसार आपको दंडित भी किया जा सकता है। यदि आपकी सूचना झूठी पाई जाती है, तो इसके लिए आपको ब्लैकलिस्टेड भी किया जा सकता है और परिस्थिति अनुसार दंड भी दिया जा सकता है। समाचार माध्यमों के लिए भी इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा।

3 भारत में अनेक ऐसी बातें सत्य के समान स्थापित हो गई हैं जो पूरी तरह झूठ हैं, लेकिन आश्चर्य है कि भारत के 99% लोग इन झूठी बातों को सच मानते हैं। इसका प्रमुख कारण है प्रचार माध्यम। पेशेवर प्रचार माध्यमों को आधार बनाकर इस प्रकार की दुनिया की झूठी बातें भारत में सत्य के समान स्थापित की गई हैं। इन प्रचार माध्यमों पर दुनिया भी अरबों रुपये प्रतिवर्ष खर्च करती है और दुर्भाग्य है कि हमारे भारत की सरकारें भी इन प्रचार माध्यमों पर बहुत बड़ी राशि खर्च करती हैं। क्योंकि सरकारें यह समझती ही नहीं हैं कि जो कुछ भी प्रचार हो रहा है, वह सब असत्य है और समाज को भ्रमित करने वाला है। सरकारें या तो इन झूठी बातों को सत्य मान लेती हैं अथवा वह असत्य सरकारों के विस्तार में सहयोग देता है, इसलिए सरकारें प्रचार माध्यमों पर इतना खर्च करती हैं। एक तरफ समाज पर मनमाना टैक्स लगाया जाता है, एक तरफ समाज को खर्च कम करने की सलाह दी जाती है, दूसरी तरफ उस टैक्स का प्रचार माध्यमों पर खर्च किया जाता है। आज भी भारत की सभी सरकारें मीडिया को या अन्य प्रचार माध्यमों को बहुत अधिक धन देती हैं। यह बात सर्वविदित है कि व्यापार के विस्तार के लिए प्रचार माध्यम सबसे अच्छा आधार माना जाता है और हमारी सरकारें भी व्यापारी के समान प्रचार माध्यमों के द्वारा अपने झूठ का प्रोपेगेंडा करती हैं। हम नई व्यवस्था में प्रचार माध्यमों पर किसी भी प्रकार का सरकारी या सामाजिक खर्चा रोक देंगे। इससे सत्य ही समाज के बीच में अपने दम पर प्रचारित हो पाएगा, झूठ सत्य को दबा नहीं सकेगा।

4 हम एक इस प्रकार की नई समाज व्यवस्था बनाएंगे जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को नागरिक बनना अनिवार्य होगा चाहे वह किसी भी देश की नागरिकता ग्रहण करे। भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को परिवार का सदस्य बनना ही होगा। उसे यह स्वतंत्रता होगी कि चाहे वह किसी भी परिवार के साथ जुड़े या किसी व्यक्ति के साथ जुड़कर एक नया परिवार बना ले। हर व्यक्ति की संपत्ति और स्वतंत्रता परिवार में संयुक्त होगी। किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्ति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं होगी। यदि कोई व्यक्ति किसी परिवार के साथ नहीं जुड़ना चाहता है तो वह ग्राम सभा में जुड़ सकता है या राष्ट्र सभा के साथ जुड़ सकता है लेकिन व्यक्तिगत संपत्ति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं रख सकता। उसकी संपत्ति और स्वतंत्रता राष्ट्र सभा में सुरक्षित रहेगी। यदि कोई व्यक्ति किसी सभा का सदस्य नहीं बनना चाहता और अकेला रहना चाहता है तो कोई उसे मारेगा नहीं लेकिन उसके साथ संपूर्ण बहिष्कार किया जाएगा। न वह अपना कोई सामान किसी को बेच सकता है, न वह किसी से खरीद सकता है, न किसी से बात कर सकता है और इस तरह उसका जीवन कठिन हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति का बहिष्कार करने की सबको स्वतंत्रता होगी। इस तरह हम नई समाज व्यवस्था में व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करेंगे और व्यक्ति को सहजीवन के लिए मजबूर करेंगे। नई समाज व्यवस्था का यही स्वरूप आदर्श होगा। हम प्रयास करेंगे कि इस तरह की आदर्श व्यवस्था सारी दुनिया में स्थापित हो।

5 वर्तमान भारत में अपराधी दंड से भयभीत नहीं हैं। आमतौर पर जो जेल से निकल रहे हैं, वह कुछ अधिक बड़े अपराधी बन रहे हैं क्योंकि जेलें सुधार गृह बन रही हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है। दंड की मात्रा कम हो रही है, हत्यारों को भी बहुत रियायत दी जा रही है। जितने अपराध हो रहे हैं, उनमें से 10% ही थाने पहुंचते हैं और उन 10 में से भी एक ही न्यायालय से दंडित होता है और जो दंडित होता है, वह भी जेल को सुधार घर के रूप में देखता है। परिणाम है कि अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। लोग अपराध से भयभीत नहीं हैं। आप विचार कीजिए कि देश के बड़े-बड़े नेता भी स्वतंत्र भारत में जेलों से निकलने के बाद कितने प्रतिशत सुधर गए। आज वह उससे भी बड़े-बड़े भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने मिलकर नई समाज व्यवस्था में व्यापक बदलाव किए हैं। हम लोगों ने यह योजना बनाई है कि अपराधों में दंड की मात्रा अधिक की जाएगी और दंड सुधारात्मक न होकर कठोर होगा। फांसी की सजा भी बढ़ाई जाएगी और फांसी के तरीके भी बदले जाएंगे। कुछ लोगों को सार्वजनिक फांसी दी जाएगी, कुछ लोगों को यदि जरूरत पड़ेगी तो सार्वजनिक रूप से बोटी-बोटी काट दी जाएगी। अर्थ दंड की मात्रा भी कई गुना बढ़ाई जाएगी। अर्थ दंड को संपूर्ण संपत्ति के प्रतिशत के रूप में दिया जाएगा, न कि मात्रा के रूप में। हम दंड अधिक अमानवीय बनाएंगे, दंड कभी भी मानवीय नहीं होता। इस तरह हम दंड की मात्रा और तरीके को इस प्रकार बनाएंगे कि जिससे दंड की मात्रा से अपराधियों के मन में भय पैदा हो। हम अपराधों की परिभाषा बदल देंगे, हम 90% कानून को हटा देंगे जिससे अपराधों की संख्या बहुत कम हो जाएगी लेकिन जो अपराध होंगे, उनके दंड बहुत कठोर होंगे। इस तरह जेल में संख्या बहुत कम हो जाएगी, न्यायालय में मुकदमे बहुत कम हो जाएंगे, पुलिस के पास काम बहुत कम रह जाएगा लेकिन दंड बहुत कठोर दिए जाएंगे।

6 नई व्यवस्था में सबसे ऊपर एक संविधान सभा होगी। संविधान सभा एक संविधान का प्रारूप बनाएगी और संविधान के अंतर्गत न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, ये तीनों मिलकर कार्य करेंगे। किसी भी प्रकार के संविधान में बदलाव के लिए संसद और संविधान सभा दोनों की सहमति अनिवार्य होगी। यदि इन दोनों के बीच कोई टकराव होता है, तो ऐसी स्थिति में जनमत संग्रह होगा। तंत्र के तीन भाग न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका बिल्कुल अलग-अलग होंगे। तीनों में से कोई भी ऊपर-नीचे नहीं होगा, और यदि इन तीनों में किसी प्रकार के विवाद की बात आती है, तो उसका निर्णय संविधान सभा करेगी। न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका का गठन किस तरह होगा, वह लगभग वर्तमान समय में हो रहा है, लेकिन इस मामले में भी संविधान सभा ही निर्णय करेगी। यदि कोई बदलाव करना होगा, तो संविधान सभा करेगी। वर्तमान समय में जो न्यायिक दादागिरी चल रही है, उस पर भी संविधान सभा रोक लगा देगी, और जो विधायिका

या कार्यपालिका भी अपने को सर्वोच्च बना रहे हैं, वह सर्वोच्चता भी समाप्त हो जाएगी। संविधान सभा न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका की अपनी स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। संविधान सभा कानून बनाने में कोई दखल नहीं देगी, क्रियान्वयन में भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। संविधान सभा का गठन आम जनता करेगी, जिस तरह संसद का गठन होता है। इस तरह संविधान सभा और सांसद दोनों अलग-अलग लोक का प्रतिनिधित्व करेंगे। संसद कानून बनाएगी और संविधान सभा संविधान तक सीमित रहेगी। किसी भी प्रकार के विवाद का निर्णय जनमत संग्रह से होगा।

7 दो प्रश्न सामने आते हैं। पहला यह है कि नई व्यवस्था में ऐसा क्या प्रावधान कर सकते हैं कि यदि हम संविधान में कोई बदलाव का प्रस्ताव देते हैं, उसके लिए हमारे पास क्या तरीका हो सकता है। दूसरा प्रश्न यह भी है कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में यदि सरकार इस दिशा में नहीं सोचती है, तो हम क्या कर सकते हैं। दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। मैंने इस संबंध में विचार किया है। आदर्श स्थिति यह होगी कि यदि कोई नागरिक संविधान में किसी प्रकार का संशोधन का प्रस्ताव देना चाहता है, तो वह नागरिक संविधान सभा के पास अपना प्रस्ताव भेज सकता है। संविधान सभा इस प्रकार के प्रस्ताव पर विचार कर सकती है। यदि संविधान सभा किसी प्रस्ताव से सहमत होती है, तब संविधान सभा संसद के पास उस प्रस्ताव को रख सकती है। यदि संसद उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है, वैसी स्थिति में जनमत संग्रह होगा। आदर्श स्थिति में तो यही तरीका हो सकता है। संसद यदि कोई प्रस्ताव देती है, तो संविधान सभा अंतिम निर्णय करेगी। संविधान सभा अगर कोई प्रस्ताव देती है, तो संसद उसका अंतिम निर्णय करेगी, अन्यथा जनमत संग्रह होगा। दूसरी बात यह है कि यह बहुत ही कठिन मार्ग है। आदर्श स्थिति आसान नहीं है। इसलिए व्यावहारिक रूप से हम तत्काल यह प्रस्ताव दे रहे हैं कि वर्तमान समय में जो संविधान संशोधन संसद अकेले कर रही है, उस संविधान संशोधन में ग्राम सभाओं की भी स्वीकृति ली जानी चाहिए। यह कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा बदलाव हो सकता है, और जनमत के आगे झुककर हमारे सांसद इस बात के लिए तैयार हो सकते हैं। इसलिए हम दोनों तरीकों से जन जागरण करें। आदर्श स्थिति के लिए भी हम जन जागरण करें और तात्कालिक परिस्थितियों के लिए भी हम ग्राम सभाओं से आगे बढ़ावें। मेरा तो यही सुझाव है।

8 वर्तमान समाज व्यवस्था में व्यक्ति की आवश्यकता दो प्रकार की मानी जाती है: एक होती है मौलिक आवश्यकता और दूसरी होती है विलासिता। जिन्हें मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती, उन्हें हम गरीब कह देते हैं और जो विलासिता की वस्तुओं का उपयोग करते हैं, उन्हें हम अमीर कह देते हैं। इस तरह आर्थिक धरातल पर गरीब और अमीर दो प्रकार की परिभाषाएं मानी जाती हैं, लेकिन मेरे विचार से यह दो विभाजन गलत हैं; इन्हें तीन भागों में बांटने की जरूरत है। एक आवश्यकता होती है मौलिक, एक होती है सुविधा की और एक होती है विलासिता की। इन तीनों की परिभाषाएं भी अलग-अलग होती हैं। मौलिक आवश्यकताओं की वस्तुओं में सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता शामिल होती है; अन्य सारी आवश्यकताएं सुविधा की वस्तुएं मानी जानी चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवागमन या अन्य सभी वस्तुएं मौलिक आवश्यकता नहीं हैं, यह सुविधा है और विलासिता की वस्तुएं बिल्कुल अलग मानी जाती हैं। विलासिता की वस्तुएं मौलिक आवश्यकता तो होती ही नहीं हैं, सुविधा से भी अलग होती हैं। यदि सुविधा की वस्तुएं आवश्यकता से कई गुना अधिक प्राप्त हो जाएं, तो उसे विलासिता माना जा सकता है। इसी तरह गरीब और अमीर के बीच भी एक तीसरी श्रेणी बनाने की जरूरत है, और वह है मध्य वर्ग। जब हम तीन भाग करेंगे, तो हमारे समाज व्यवस्था ठीक से चलेगी। हम किसी भी प्रकार की मौलिक आवश्यकता पर कोई कर नहीं लगाएंगे; मौलिक आवश्यकता की वस्तुओं को हम छूट भी दे सकते हैं। जो सुविधा की वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं पर हम कर तो नहीं लगाएंगे, लेकिन किसी प्रकार की छूट भी नहीं देंगे। यदि कर लगाना होगा, तो विलासिता की वस्तुओं पर लगा सकते हैं। दुर्भाग्य से जो सुविधा की वस्तुएं हैं, उन्हें मौलिक बता दिया जा रहा है और मौलिक कहकर उन सबको छूट दे दी जा रही है, जो पूरी तरह गलत है। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा की वस्तुएं हैं, मौलिक आवश्यकता नहीं हैं, और इन्हें मौलिक बताकर इन्हें हर प्रकार की छूट दी जा रही है, यह उचित नहीं है। नई व्यवस्था में हम मौलिक आवश्यकताओं की वस्तुओं तक अपनी छूट को सीमित रखेंगे; सुविधा की वस्तुओं पर कोई छूट नहीं देंगे। हम प्रत्येक व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान जैसी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति की गारंटी देंगे; शिक्षा, स्वास्थ्य, आवागमन इस प्रकार की किसी भी सुविधा पर सरकार अपना बजट खर्च नहीं करेगी। विलासिता की वस्तुओं पर कर लगाकर मूल आवश्यकताओं पर खर्च किया जा सकता है।

9 वर्तमान विश्व व्यवस्था में यदि हम गंभीरता से विचार करें तो प्राचीन समय में नैतिक उन्नति को भौतिक उन्नति की तुलना में कई गुना अधिक महत्व दिया गया। परिणामस्वरूप, धीरे-धीरे लोगों के अंदर भौतिक उन्नति की भूख बढ़ने लगी। वर्तमान समय में सारी दुनिया में भौतिक उन्नति को ही एकमात्र प्रगति का आधार मान लिया गया है और इसका परिणाम यह हो रहा है कि नैतिक पतन लगातार बढ़ता जा रहा है। प्राचीन समय में भी गलती हुई कि हमने भौतिक उन्नति और नैतिक उन्नति का संतुलन नहीं बनाया और आज भी वैसी ही गलती हो रही है कि हमने इस संतुलन को छोड़ दिया। अब हम चांद पर जाने और सूर्य की खोज करने को ही प्रगति का एकमात्र मापदंड मान रहे हैं। भौतिक सुख-सुविधाओं को ही हम सुख मान रहे हैं, जबकि यह सोच उचित नहीं है। यदि आप पूरी दुनिया का आकलन करें तो सारी दुनिया में शिक्षा बहुत तेजी से बढ़ रही है। शिक्षा को भौतिक उन्नति का एक महत्वपूर्ण आधार बना दिया गया है, लेकिन दूसरी ओर ज्ञान उसी तेजी से घट रहा है। ज्ञान का घटना नैतिक पतन की तरफ ले जा रहा है, शिक्षा का बढ़ना भौतिक उन्नति की तरफ ले जा रहा है और इन दोनों के बीच आज असंतुलन बनता जा रहा है। यही कारण है कि बहुत तेज गति से भौतिक उन्नति और शिक्षा का विस्तार होते हुए भी समाज में स्वार्थ बढ़ रहा है, हिंसा बढ़ रही है, टकराव बढ़ रहा है और बुराइयां बढ़ रही हैं। हम नई समाज व्यवस्था में भौतिक उन्नति और नैतिक पतन के बीच एक संतुलन बनाएंगे। सामाजिक व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था को फिर से जीवित करेंगे, जिसमें योग्यता, क्षमता और गुण के आधार पर चार वर्ण बनाए जाएंगे। हम भौतिक उन्नति को ही सुख का एकमात्र आधार मानने के लिए तैयार नहीं हैं।

10 मां संस्थान संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन के लिए लगातार सक्रिय है। संस्थान तीन दिशाओं में सक्रिय है। पहली दिशा है तंत्र-मुक्त संविधान। हम एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था चाहते हैं, जिसमें संविधान संशोधन में ग्राम सभाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका हो। हमारा दूसरा कार्य है सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन। इस कार्य में हम यह चाहते हैं कि परिवार के पारिवारिक मामलों में परिवार को निर्णय की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए और परिवार को संवैधानिक मान्यता प्राप्त कराई जाए। हमारा तीसरा कार्य है कि एक स्वतंत्र विचार का ऐसा समूह बने, जो पूरी तरह विश्वसनीय हो और यह समूह समाज का भी मार्गदर्शन कर सके और राज्य का भी मार्गदर्शन करें। हम इन तीन दिशाओं में देश भर में लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारे पहले प्रयास में कुछ भिन्न स्वरूप में आचार्य कुल चंद्रशेखर जी, प्राण तथा हरियाणा के रणवीर शर्मा जी भी सक्रिय हैं। हमारे सभी साथी इन तीनों संस्थानों के कार्यक्रमों को पूरा समर्थन देते हैं। हमारे दूसरे प्रकार के कार्य में संघ, आर्य समाज, गायत्री परिवार कुछ भिन्न तरीके से सक्रिय हैं। हम इन तीनों संस्थानों से मिलजुल कर इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा तीसरा कार्य है, इस कार्य में हम अकेले ही सक्रिय हैं। इन तीनों कार्यों के अतिरिक्त, यदि कोई संस्था वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक, वैचारिक व्यवस्था में सुधार के लिए कोई कार्य करती है, तो हम उन संस्थाओं की मदद भी करते हैं। अशोक भाई पटेल दल-मुक्त भारत का कार्य कर रहे हैं। हम उनका भी हर तरह समर्थन और सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अन्य भी कोई संस्थाएं इस प्रकार का कार्य कर रही होंगी, तो हम उन्हें सभी प्रकार से समर्थन देंगे, क्योंकि अच्छा कार्य करने वाली सभी संस्थाएं एक-दूसरे के साथ सहयोग करें, तो यह एक बहुत अच्छी दिशा होगी। मां संस्थान इस दिशा में निरंतर सक्रिय है।

11 मैं पिछले 10 वर्षों से लगातार यह लिखता रहा हूं कि भारत पहली बार गांधी के मार्ग पर चल रहा है। धीरे-धीरे ग्राम सभाएं भी मजबूत हो रही हैं, धीरे-धीरे सरकारों का व्यापार में हस्तक्षेप भी कम हो रहा है, राष्ट्रीयकरण को लगातार छोड़ा जा रहा है। हिंसा के मामले में भी भारत लगातार गांधी के मार्ग पर चल रहा है। अभी वर्तमान भारत-पाकिस्तान के टकराव में भी भारत ने किस तरह का कदम उठाया, वह पूरी तरह गांधी के लिए ही समर्पित था। हमारे देश के नेताओं ने सारी दुनिया को यह संदेश दिया है कि भारत बुद्ध के मार्ग पर चलेगा, गांधी के मार्ग पर चलेगा। हम अहिंसा को बचाने के लिए ही हिंसा का प्रयोग करेंगे, हम कभी विस्तारवाद के लिए हिंसा का उपयोग नहीं करेंगे। भारत ने वर्तमान समय में यह सिद्ध कर दिया कि हम अहिंसा की सुरक्षा के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं। जिस तरह से भारत ने सोच-समझकर युद्धविराम किया, वह कोई साधारण घटना नहीं है। कोई गांधीवादी ही इतना बड़ा कदम उठा सकता है। वास्तव में यह बहुत ही सूझबूझ का कदम था कि भारत हिंसा को रोकना भी चाहता था और भारत ने ट्रंप को प्रसन्न भी कर दिया। ट्रंप को प्रसन्न करने के इस भारतीय कदम से सोरोस हिडन वर्क के भारतीय एजेंटों को बहुत कष्ट हुआ है। भारत सरकार के इस कदम ने जहां सारी दुनिया में प्रशंसा पाई है, वहां गांधी के पक्ष और विपक्ष की दुकानदारी करने वाले दोनों ही सरकार के इस युद्धविराम प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। आश्चर्य होता है कि गांधी नामधारी कांग्रेस के नेता और गांधी को गाली देने वाले सावरकरवादी दोनों ही सरकार के इस कदम का खुलकर विरोध कर रहे हैं। आश्चर्य होता है जब गांधी के पक्ष-विपक्ष की दुकानदारी करने वाले बड़ी बेशर्मी से एकजुट हो गए हैं। आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं किस तरह कांग्रेस, गांधीवादी और सावरकरवादी एक साथ मिलकर सरकार के इस गांधीवादी प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। सरकार ने इस युद्धविराम के माध्यम से गांधी के नाम के पक्ष-विपक्ष की दुकानदारी की पोल खोलकर रख दी है। मैं चाहता हूं कि सरकार इसी तरह और अधिक तेज गति से गांधी मार्ग पर आगे बढ़ती रहे। हमें अहिंसा की सुरक्षा के लिए हिंसा का सहारा लेना चाहिए, हमें हिंसक विस्तार के लिए अहिंसा को ढाल नहीं बनना चाहिए। हमें युद्ध के माध्यम से कश्मीर का एकीकरण नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें धैर्य रखना चाहिए कि पाकिस्तान भूखा मरेगा और कश्मीर अपने आप भारत का हो जाएगा।

12 भारत में स्वतंत्रता के बाद लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता गया है। नरेंद्र मोदी के आने के बाद भी भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं आई है, भले ही भ्रष्टाचार का स्वरूप बदल गया। नरेंद्र मोदी के पहले भ्रष्टाचार के मामलों में छोटे-छोटे लोग पकड़े जाते थे, उन्हें सजा भी होती थी, बड़े-बड़े लोग सब सुरक्षित रहते थे। अब नरेंद्र मोदी के आने के बाद बड़े-बड़े लोग पकड़े जा रहे हैं, लेकिन छोटे स्तर पर भ्रष्टाचार बिल्कुल उसी तरह चल रहा है। भ्रष्टाचार की मात्रा कितनी है, यह बात साफ नहीं की जा सकती, एक तरह से समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही है। अभी छत्तीसगढ़ में ही भ्रष्टाचार के कई मामले और सामने आए, जिसमें अरबों रुपये के भ्रष्टाचार पकड़े गए। शराब घोटाला तो पूरे देश में हुआ ही है, छत्तीसगढ़ में भी हुआ। बीड़ी पत्ता की खरीदी में भी छत्तीसगढ़ में भारी भ्रष्टाचार पकड़ा गया है, जमीन के मुआवजे में भी कुछ इसी तरह की बातें सामने आई हैं। अभी-अभी एक मामला सामने आया है कि 211 ऐसे स्कूल काम कर रहे थे, जिन स्कूलों में एक भी बालक पढ़ने वाला नहीं था और बाकायदा उन स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति थी। दवा घोटाला और पता नहीं कितने प्रकार के घोटाले प्रकाश में आएंगे। जब यह सरकार बदलेगी, तब नई सरकार भी इसी प्रकार के भ्रष्टाचार के मामले सामने लाएगी। यह केवल छत्तीसगढ़ का मामला नहीं है, सारे देश में इसी प्रकार उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार होता रहा है। हरियाणा में मुख्यमंत्री इसी आरोप में सजा काट चुके हैं। बिहार के लालू परिवार की भी सारी घटनाएं जगजाहिर हैं, बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला पूरी तरह सामने आ चुका है। इसके बाद भी हर विभाग में नए-नए सरकारी कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है, क्योंकि भ्रष्टाचार करने के लिए सरकारी कर्मचारियों की बहुत जरूरत पड़ती है। सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से ही भ्रष्टाचार होता है। नए-नए कानून बनाकर ही भ्रष्टाचार किया जा सकता है। यदि वास्तव में भ्रष्टाचार को कम करना हो, आपको कानून हटाने पड़ेंगे, सरकारी कर्मचारियों को या तो हटाना पड़ेगा या उनका वेतन घटाना पड़ेगा, अनेक विभाग तोड़ने पड़ेंगे। लेकिन मैं देख रहा हूं कि सरकार एक तरफ भ्रष्टाचार हटाने की बात करती है, दूसरी तरफ नए-नए कानून भी बनाती है। नए-नए विभाग भी खोलती है और भ्रष्टाचार रोकने का नाटक करती है, यह उचित नहीं है। अधिकतम निजीकरण कर दीजिए, भ्रष्टाचार अपने आप मर जाएगा।

13 पता चला है कि हमारी भारत सरकार 6 अंकों का पिन कोड समाप्त करके 10 अंकों का डीजीपिन कोड नंबर तैयार कर रही है और अगले कुछ महीनों में लागू कर दिया जाएगा। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हम लोगों ने 40 वर्ष पहले ही यह निष्कर्ष निकाल लिया था और अक्टूबर 99 में इस विषय पर दिनभर सम्मेलन में राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा भी हुई थी। चर्चा का निष्कर्ष हम लोगों ने उस समय लिखा भी है जो आज भी पढ़ा जा सकता है। हमारे अनुसार 9 अंकों का एक कोड नंबर होना चाहिए जो पूरे भारत के प्रत्येक घर की पहचान बन सकता है। इस कोड नंबर के अनुसार पूरे भारत को 100 प्रमंडल में बांटा जाएगा। हम लोगों ने उस समय इस आधार पर पूरे भारत के 100 लोक प्रदेश अर्थात प्रमंडल अलग-अलग बनाए भी थे, जिसमें उत्तर प्रदेश को 16, छत्तीसगढ़ को दो और इसी तरह पूरे भारत में बने हैं। आज भी मां संस्थान का संस्थागत ढांचा इसी तरह बना हुआ है। 30 वर्ष पहले यह पूरी प्रक्रिया बना ली गई थी। हर लोक प्रदेश में 100 लोक जिले बनाए गए थे, जिन्हें हम मंडल कहते हैं और हर जिले में 100 गांव बनाए गए थे। एक गांव में तीन अंक मकान के लिए दिए गए थे। अगर आज भी इस तरह की प्रक्रिया अपना ली जाए तो 9 अंकों में पूरे भारत के प्रत्येक मकान को शामिल किया जा सकता है। फिर भी सरकार जिस दिशा में कार्य कर रही है, वह दिशा ठीक है। प्रत्येक मकान को एक पहचान तो होनी चाहिए, चाहे हमारे तरीके से हो या किसी अन्य तरीके से। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि सरकार लगातार उस दिशा में आगे बढ़ रही है, जिस दिशा में सरकार को जाना चाहिए। सरकार के द्वारा डीजीपीआईएन घोषणा के बाद पता चलेगा कि सरकार किस तरह डीजीपीआईएन बना रही है। मैंने तो अपना प्रारूप आपके सामने रख दिया है।

14 लगभग 1 वर्ष से मैं लगातार देख रहा हूं कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मायावती, ममता बनर्जी तथा कुछ अन्य भाजपा की भी महिलाएं लगातार यह मांग कर रही हैं कि महिलाओं का आरक्षण जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। वे सभी महिलाएं महिला सशक्तिकरण की जोरदार आवाज उठाती हैं। उनके अनुसार भारत में महिलाओं को दबाया जा रहा है। वे तो मानती हैं कि भारत के 50% प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री सारे पद महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिए जाएं क्योंकि भारत में महिलाएं कमजोर हैं और उन्हें मजबूत होना चाहिए। दूसरी ओर, पिछले एक महीने में हम लोगों ने कुछ ऐसी महिलाओं को दिखा, जिन्होंने कमजोर होते हुए भी अपने कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आज ही हमने देखा कि सोनम रघुवंशी ने एक नया कीर्तिमान बनाया है। कोई महिला इतनी भी ज्यादा धूर्त हो सकती है कि उसके भाव-भाव चेहरे से सारी दुनिया में कोई व्यक्ति समझ ही न सके। अभी कुछ दिन पहले ही हमने हरियाणा की एक महिला पत्रकार को पाकिस्तान को सूचना भेजते हुए भी देखा। उसने अपने नाटकबाजी का ऐसा कीर्तिमान बनाया कि एक तरफ उसने अनेक पाकिस्तानी मुसलमान के साथ शारीरिक संबंध बनाए और दूसरी ओर भारत के लाखों लोगों को अपनी अदाओं से प्रभावित भी किए रखा। हमने अभी कुछ दिन पहले ही उत्तराखंड की हरिद्वार जैसे धार्मिक स्थान की एक भारतीय जनता पार्टी की उच्च स्तरीय नेता ने ऐसा कीर्तिमान बनाया कि उसने अपनी 13 वर्ष की लड़की को ना चाहते हुए भी वेश्यावृत्ति के अवैध और अनैतिक व्यापार में डालने के सारे प्रयत्न किए। वह महिला नेता भी महिला सशक्तिकरण की आवाज बुलंद करती रहती है। ऐसी महिलाओं के अनेक कीर्तिमान आपको भारत में मिल सकते हैं। अब हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि महिलाओं को कितना सशक्त होने की जरूरत है। सोनिया गांधी, प्रियंका और ममता बनर्जी महिलाओं को और कितना सशक्त देखना चाहते हैं, यह हमें अभी तक नहीं पता है। हम इतना जरूर जानते हैं कि भारत में 98% परंपरागत और पारिवारिक महिलाएं हैं, जिन्हें आमतौर पर पारिवारिक जीवन से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। 2 प्रतिशत आधुनिक महिलाएं हैं, जो आमतौर पर महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं। यह 2 प्रतिशत महिलाओं में से भी 90% राजनीति में प्रवेश करना चाहती हैं और राजनीति में घुसकर यह राजनेताओं पर अपने डोरे डालती हैं और राजनेताओं को अपने वश में करके महिला सशक्तिकरण के कानून बनवाती हैं। इस प्रकार की महिलाएं और इस प्रकार के पतित पुरुष देश में महिला सशक्तिकरण के लिए दिन-रात चिल्लाते रहते हैं, जबकि 98% महिलाएं अपने सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्था में कुछ आंशिक बदलाव से ही संतुष्ट हैं। इन 2

प्रतिशत महिलाओं को रेलों में अलग डब्बा चाहिए, इन्हें अलग पुलिस थाना चाहिए, इन्हें अलग शौचालय चाहिए, इन्हें हवाई अड्डों पर बच्चों को दूध पिलाने के लिए कोई अलग से सुरक्षित रूम चाहिए। यह 2 प्रतिशत महिलाएं सारे देश को ब्लैकमेल कर रही हैं। यह 2 प्रतिशत महिलाएं भारत में कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। अब भारत को महिला-पुरुष के बीच विभाजित नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार पर चर्चा करनी चाहिए।

15 वर्तमान भारत में प्रमुख समस्याओं के समाधान में सबसे ज्यादा बाधक हमारी न्यायपालिका बनी हुई है। हमारी न्यायपालिका देश की सभी लोकतांत्रिक इकाइयों से प्रश्न करना जानती है लेकिन उत्तर देना नहीं जानती। हमारी न्यायपालिका सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं को न्यायपालिका के प्रति उत्तरदाई मानती है लेकिन स्वयं राष्ट्रपति के समक्ष भी उत्तरदाई नहीं मानती। न्यायपालिका हमारी समस्याओं के समाधान में कितनी ज्यादा बाधक हो गई है कि कई बार देश की जनता न्यायपालिका को किनारे करके भी न्याय प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हो जाती है। न्यायपालिका को यह बात गंभीरता से सोचनी चाहिए कि आज भारत में योगी आदित्यनाथ की इतनी अधिक विश्वसनीयता क्यों बढ़ रही है और इसमें न्यायपालिका कितनी दोषी है। हम रोज देखते हैं कि पुलिस और आम लोग किसी तरह अपराधियों को जेल भिजवाते हैं, अपराधी न्यायालय से जमानत पर छूट जाता है और फिर आकर वही अपराध करता है। प्रश्न यह खड़ा होता है कि न्यायालय द्वारा जमानत मिलने के बाद यदि वह व्यक्ति वैसा ही अपराध करता है तो क्या इसके लिए न्यायालय जिम्मेदार नहीं है? क्या जमानतदार को जिम्मेदार नहीं बनाया जाना चाहिए? न्यायालय बड़ी मासूमियत से अपना पल्ला झाड़ लेता है कि हम तो कानून के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य हैं। लेकिन न्यायालय यह कभी नहीं कहता कि कानून की अंतिम समीक्षा न्यायालय करता है, यहां तक कि संविधान की भी अंतिम समीक्षा न्यायालय करता है और जब न्यायपालिका कानून और संविधान पर अंतिम निर्णय देती है, न्यायपालिका ही अपने को संविधान सभा मानती है, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? इस तरह जिम्मेदारी से भागना न्यायपालिका के लिए उचित नहीं है। यदि कोई न्यायालय से जमानत प्राप्त अपराधी अपराध करता है, न्यायपालिका को उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए या न्यायपालिका को कानून में बदलाव करवाना चाहिए। हम न्यायपालिका को इसलिए माफ नहीं कर सकते कि न्यायपालिका ने सब प्रकार के विशेष अधिकार असंवैधानिक तरीके से अपने पास समेट लिए हैं। अब समय आ गया है कि भारत में न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका तीनों समानता के आधार पर कार्य करें और किसी की दादागिरी नहीं चलनी चाहिए। भारत में अगर अपराध होते हैं, उसकी जिम्मेदारी में न्यायपालिका अपने को बचा नहीं सकती।

16 भारतीय लोकतंत्र में एक विचित्र वातावरण बन गया है। देश में तीन जातियां ऐसी हो गई हैं जो सिर्फ प्रश्न पूछना ही जानती हैं, उत्तर कभी नहीं देतीं। यहां तक कि तीनों ही जातियां अपने को लोकतंत्र की संरक्षक कहती हैं, तीनों ही विशेष अधिकार प्राप्त हैं, तीनों को यह भी अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी अन्य लोकतांत्रिक व्यवस्था से कोई भी प्रश्न कर सकती हैं लेकिन तीनों को यह भी विशेष अधिकार प्राप्त है कि इन तीनों में से किसी से कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था की इकाई किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं कर सकती। यह विशेष स्थिति भारत की है। न्यायपालिका तो इनमें सबसे ऊपर है ही, भारत की न्यायपालिका किसी भी इकाई से कोई भी सवाल कर सकती है लेकिन अन्य कोई भी इकाई न्यायपालिका से कोई प्रश्न नहीं कर सकती, यहां तक कि अन्य इकाइयां उत्तर देने के लिए बाध्य भी हैं। न्यायपालिका अपने को लोकतंत्र का संरक्षक मानती है। इसी तरह भारत के मीडिया वालों का भी यही हाल है। भारत के मीडिया कर भी बड़े से बड़े नेता को भी किसी भी रूप में अपमानित कर सकते हैं। मुंह पर माइक लगाकर वह इतना अधिक जलील करते हैं कि आदमी खून के घूंट पीकर रह जाता है क्योंकि मीडिया कर्मी बड़े से बड़े अफसर से भी किसी समय फोन करके कोई भी बात पूछ सकता है और वह अफसर उत्तर देने के लिए बाध्य है। मीडिया कर्मी किसी को भी ब्लैकमेल कर सकता है क्योंकि उसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ घोषित कर दिया गया है। इसी तरह विपक्ष भी सिर्फ प्रश्न करना जानता है, उत्तर तो देना जानता ही नहीं है। पहलगाम घटना ने थोड़ा सा विपक्ष में बदलाव देखा है लेकिन राहुल गांधी में कोई बदलाव नहीं है क्योंकि राहुल गांधी तो विपक्ष के सर्वोच्च नेता हैं। आप इतिहास में खोज कर बता दीजिए कि राहुल गांधी ने कभी भी किसी के प्रश्न का उत्तर दिया हो और राहुल गांधी ने दिन भर में कितने प्रश्न अन्य इकाइयों से पूछे, उसकी भी सूची आप देख सकते हैं। अब समय आ गया है कि इन तीनों जातियों के विशेष अधिकारों पर हम बैठकर गंभीरता से सोचें। लोकतंत्र किसी इकाई को इस प्रकार विशेष अधिकार देकर ब्लैकमेल होने का नाम नहीं है, लोकतंत्र आपस में संतुलन का नाम है।

17 मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य बताया जाता है मानवता की सुरक्षा और विस्तार। आज यदि हम इस विषय पर गंभीरता से विचार करें तो वर्तमान दुनिया में मानवता पर खतरा बढ़ रहा है। चार संस्कृतियां प्रमुख हैं, इनमें से साम्यवाद और इस्लाम लगातार मानवता के लिए खतरा बने हुए हैं। ईसाइयत मानवता के विस्तार में सबसे अधिक सहायक है, हिंदुत्व मानवता की सुरक्षा और विस्तार दोनों का संतुलन बनाकर रखता है। यदि हम ठीक से समीक्षा करें तो मानवता की सुरक्षा और विस्तार दोनों के संतुलन से ही मानवता बच सकती है, किसी एक से नहीं, क्योंकि परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं और बदलती परिस्थितियों के अनुसार नीतियां भी बदलनी चाहिए। वर्तमान दुनिया में इस्लाम और साम्यवाद के गठजोड़ ने मानवता की सुरक्षा के सामने बहुत बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। हिंदुत्व इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है और ईसाइयत इसमें सहयोगी बन सकती है। हिंदुत्व की सुरक्षा में संघ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद परिस्थितियां बदल गई हैं। अब भारत में हिंदुत्व को कोई खतरा नहीं है क्योंकि हिंदुत्व की सुरक्षा की जिम्मेदारी सफलतापूर्वक नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। ऐसी परिस्थितियों में अब हिंदुत्व के विस्तार की दिशा में सोचा जाना चाहिए। दुर्भाग्य से संघ पर सावरकरवादियों का अधिक प्रभाव होने के कारण संघ हिंदुत्व की सुरक्षा की नीतियों पर ही अधिक चल रहा था। पिछले पांच-से -सात वर्षों में संघ ने अपनी नीतियां बदली हैं, लेकिन सावरकरवादियों का दबाव अभी भी कायम है। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि संघ जितनी जल्दी सावरकरवादियों के दबाव से मुक्त हो जाए, उतनी ही जल्दी हम हिंदुत्व के विस्तार की नीतियों में आगे बढ़ सकते हैं। हमें दो दिशाओं में एक साथ काम करना होगा: हम नरेंद्र मोदी को लगातार शक्ति देते रहें और दूसरी ओर हम मानवता के विस्तार के लिए भी निरंतर कार्य करते रहें। बदली परिस्थितियों में हमें सावरकरवादियों से किनारा कर लेना चाहिए, यही वास्तविक हिंदुत्व है।

18 6 माह पहले हुए हरियाणा चुनाव के बाद राहुल गांधी ने एकाएक अपनी राजनीतिक दिशा बदल ली है। इसके पूर्व राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक मजबूत विपक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि मजबूत विपक्ष बनाने के प्रयत्नों में अन्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी को ही खा जाएंगे। इसलिए राहुल गांधी ने देशभर में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए योजना बनाई और वह पूरी ताकत और मेहनत से इस दिशा में कार्य कर रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। इस सक्रियता में उन्होंने प्रियंका को भी पीछे छोड़ दिया है। अब वे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वे संयुक्त विपक्ष के नहीं बल्कि कांग्रेस की ओर से मोदी सरकार के एकमात्र प्रतिद्वंदी स्थापित हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार भी राहुल गांधी की इस नई मुहिम से प्रसन्न है क्योंकि केंद्र सरकार के चुनाव में अभी 4 वर्ष की देर है और तब तक राहुल गांधी कई राज्यों में अन्य विपक्षी दलों को निपटा देंगे। आज बात साफ दिख रही है कि आजकल हर टीवी चैनल में और अखबारों में राहुल गांधी के पक्ष-विपक्ष के समाचारों की बाढ़ आई हुई है। मीडिया में किसी व्यक्ति का नाम उछाला जाना तीन महत्वपूर्ण बातों पर निर्भर करता है-1) उस व्यक्ति की बातों में बहुत अधिक महत्व हो।2) उस व्यक्ति या दल के मीडिया को बहुत अधिक मात्रा में पैसा प्राप्त हो।3) मीडिया उसकी राजनीतिक ताकत से डरता हो।राहुल गांधी में यह तीनों ही गुण नहीं हैं। राहुल गांधी की किसी की बात में कोई तर्क-वितर्क तो होता ही नहीं है और वर्तमान समय में राहुल गांधी मीडिया को बहुत पैसा देने की स्थिति में भी नहीं हैं। मीडिया को राहुल गांधी से कोई राजनीतिक सत्ता का डर भी नहीं है, फिर भी यदि मीडिया राहुल को इतना महत्व दे रहा है, तो यह संभावना बहुत अधिक दिखती है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने मीडिया को ऐसा करने की सलाह दी हो। सच्चाई चाहे जो भी हो, राहुल गांधी नई दिशा में पूरी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं।

राहुल गांधी

पिछले 6 महीनों से भारत में एक स्पष्ट राजनीतिक बदलाव दिख रहा है। इसके पहले भारत में साम्यवादी कट्टरवादी मुसलमान और नेहरू परिवार का एक मजबूत गठजोड़ बना हुआ था और राहुल गांधी को यह पूरी उम्मीद थी कि यह गठजोड़ लगातार ताकतवर होता जाएगा। लेकिन 6 महीनों के अंदर ही जिस तरह भारत में नक्सलवादी मारे जा रहे हैं, जिस तरह भारत से कट्टरपंथी मुसलमान रोहिंग्या के नाम पर, बांग्लादेशी के नाम पर या पाकिस्तान के नाम पर निकाले जा रहे हैं, जिस तरह इन दोनों का दबदबा और जनसंख्या भारत में कम होता जा रहा है, वैसे-वैसे राहुल गांधी को यह अनुभव हो रहा है कि उनके पैरों की जमीन धीरे-धीरे खिसकती जा रही है। अगर उनके यह महत्वपूर्ण मतदाता ही नहीं रहे, तो समाज भयभीत किससे होगा? लोग डर से नेहरू परिवार को वोट कैसे देंगे? इस बात की उन्हें चिंता सता रही थी, लेकिन वह परिस्थितियों को धैर्य से देख रहे थे कि शायद कोई बदलाव आ जाएगा। पिछले दो-तीन दिनों में जिस तरह छत्तीसगढ़ के बड़े नक्सलवादी मारे जा रहे हैं और आगे भी मारे जाने की संभावना दिख रही है, इससे राहुल गांधी का धैर्य टूट गया है। आज कांग्रेस के बड़े नेता ने घबराकर यह बयान दिया है कि नक्सलवादी हमारे देश के नागरिक हैं, वह न्याय के लिए लड़ रहे हैं, उनसे शांतिपूर्वक वार्ता होनी चाहिए। इस प्रकार उनका मारा जाना पूरी तरह अन्याय है। सरकार तुरंत यह हत्याकांड बंद करे और नक्सलियों के साथ शांतिपूर्ण वार्ता करे। सरकार को नक्सलियों के साथ बल प्रयोग नहीं करना चाहिए, यह बात कांग्रेस के एक बड़े नेता, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कही है, किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं। इसलिए यह बात स्पष्ट होती है कि राहुल गांधी नक्सलियों के मारे जाने से बहुत चिंतित हैं। भविष्य बहुत खराब दिख रहा है, यह भी हो सकता है कि बड़े नक्सलियों के मारे जाने के बाद इन नक्सल समर्थक नेताओं का भी जेल जाने का नंबर आ जाए।

मैंने कल राहुल गांधी को टीवी में चलते हुए देखा। मैं साफ तौर पर यह नहीं कह सकता कि उनकी चाल में बचपना अधिक था या किसी नशे का प्रभाव था, लेकिन यह बात साफ दिख रही थी कि उसमें उम्र की गंभीरता नहीं थी, पद की गरिमा नहीं थी, और एक उच्च शिक्षित होने का कोई भाव नहीं था, बल्कि एक अल्हड़पन था। उनकी चाल में बहुत तेज गति थी। पिछले दिनों राहुल गांधी जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उन बयानों में भी इसी तरह का अल्हड़पन दिखता है। अभी उन्होंने चार दिन पहले बयान दिया था कि ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को फोन किया, "मैं ट्रंप बोल रहा हूं, नरेंद्र तुम सरेंडर कर दो।" इधर से नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया कि "ओके सर, मैं सरेंडर कर देता हूं।" इस प्रकार की भाषा कोई भी गंभीर राजनेता उपयोग नहीं कर सकता। जिस तरह अभी राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वे बुनियादी आरोप लगाए और चुनाव आयोग ने तत्काल ही इस बात मैं प्रतिदिन कुछ न कुछ लिखता रहता हूं। जब भी मैं राहुल गांधी के विषय में कुछ लिखता हूं, तो मेरे अनेक मित्र आम तौर पर मुझसे यह प्रश्न करते हैं कि आप इस तरह राहुल गांधी के पीछे क्यों पड़े हैं। कल भी मेरे कुछ मित्रों ने इस प्रकार के प्रश्न किए। ऐसे लोगों में प्रमुख अभिजीत शुक्ला, विकास यादव, महेश आनंद सांगवान, उत्तम सिंह जी, असवाल, रणधीर कौरव प्रमुख नाम थे। इनमें भी अभिजीत शुक्ला समाज बहिष्कृत हैं, इसलिए उनका उत्तर देना उचित नहीं, लेकिन अन्य लोग अच्छे हैं, मेरे अच्छे परिचित हैं, और इसलिए मैंने यह उचित समझा कि मैं इस संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दूं। मैं एक विश्वस्तरीय सामाजिक संस्था मां संस्थान से जुड़ा हुआ हूं, जिसका पूरा नाम मार्गदर्शन सामाजिक शोध संस्थान है। हम लोग प्रति सप्ताह लगभग 27 पोस्ट डालते हैं। इनमें से छह पोस्ट हमारी संस्था के साथी विपुल भाई लिखते हैं और 21 पोस्ट मैं लिखता हूं। इन 27 पोस्टों में से 13 पोस्ट पूरी तरह एक वैकल्पिक सामाजिक व्यवस्था पर होती हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता। सात पोस्ट मैं राजनीतिक व्यवस्था पर लिखता हूं, इसमें भी कहीं राहुल गांधी का जिक्र आमतौर पर नहीं होता। तीन पोस्ट ऐसी होती हैं, जिनमें आमतौर पर महिला सशक्तिकरण, मुस्लिम सांप्रदायिकता अथवा साम्यवाद की आलोचना शामिल होती है।

शेष सिर्फ चार पोस्ट ऐसी होती हैं, जो नेहरू परिवार और विशेषकर राहुल गांधी से संबंधित होती हैं। इस तरह 27 पोस्ट में से चार पोस्ट में ही राहुल गांधी का उल्लेख होता है। मैं यह बात जानना चाहता हूं कि जिन मित्रों ने मेरी व्यक्तिगत आलोचना की है, वे लोग यह बताने की कृपा करें कि 27 पोस्ट में से 23 पोस्ट पर आपकी कभी भी कोई प्रतिक्रिया आती है क्या। आप सिर्फ चार ऐसी पोस्ट पर ही कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, जो राहुल गांधी से जुड़ी होती हैं। साथ में आपको यह भी उत्तर देना चाहिए कि आप जितनी पोस्ट करते हैं प्रति सप्ताह में, उनमें से कितनी ऐसी पोस्ट हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी या केंद्र सरकार की आलोचना नहीं होती है। शायद एक भी नहीं। मैं नहीं समझा कि प्रतिबद्ध कौन है, किसकी नीयत खराब है, आपकी या मेरी। बार-बार आलोचना सुनने के बाद मैंने यह उचित समझा कि आपको एक ऐसा आईना दिखाऊं, जिसमें मेरी भी फोटो दिखाई दे और आपकी भी फोटो दिखाई दे। यह बात जगजाहिर है कि मैं नरेंद्र मोदी का और वर्तमान सरकार का पूरी तरह समर्थक हूं। आप कहां खड़े हैं, वह बताने की कृपा करें। आप यदि मेरे लिखे पर कोई आलोचना करें, तो मुझे उत्तर देने में बहुत खुशी होगी, लेकिन यदि आप व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे, तो मुझे अवश्य ही कष्ट होगा। मेरी प्रतिबद्धता की जांच करने के पहले आपको अपनी प्रतिबद्धता की भी जांच कर लेनी चाहिए।

साथियों की कलम से :-

अमेरिका से भारत तक: विचारधारा के नाम पर हिंसा- ज्ञानेन्द्र आर्य

अमेरिकी सांसद मेलिसा हार्टमैन की हत्या ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। यह घटना दर्शाती है कि जब कोई व्यक्ति अपनी विचारधारा से थोड़ा भी हटकर कुछ कहता है, तो हिंसक और तानाशाही विचारधाराएं उसके अस्तित्व को मिटाने के लिए सक्रिय हो जाती हैं।

अमेरिका में इस समय अवैध प्रवासियों को लेकर चल रहा विवाद हमें बहुत कुछ सिखाता है। भारत में मोदी सरकार ने सीएए और एनआरसी जैसे मुद्दों पर शुरुआत में तेजी दिखाई, लेकिन बाद में ये मुद्दे धीरे-धीरे ठंडे पड़ गए। यह समझना मुश्किल है कि आखिर किन तथ्यों या तर्कों के आधार पर अपने देश में अवैध घुसपैठियों को रहने की अनुमति दी जा सकती है। जब हम अवैध घुसपैठियों की बात करते हैं, तो चर्चा का 90% हिस्सा मुस्लिम घुसपैठियों पर केंद्रित हो जाता है। पड़ोसी देशों में अस्थिरता के कारण शरण लेने वाले 10% प्रवासियों को, उनकी परिस्थितियों की जांच के बाद, शरणार्थी के रूप में स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन समस्या उन घुसपैठियों से है जो शरण मांगने का दिखावा करते हैं, गरीबी का नाटक करते हैं, लेकिन मूर्तियां तोड़ते हैं, महिलाओं पर अत्याचार करते हैं, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, और कानून-व्यवस्था को ताक पर रखकर लोगों में भय पैदा करते हैं। ऐसे घुसपैठियों का समर्थन कौन करेगा? यह समझ से परे है।

अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी, जो वामपंथी विचारधारा से प्रेरित है, उन प्रवासियों के पक्ष में खड़ी दिखती है जो सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे हैं। मेलिसा हार्टमैन की हत्या, जो एक डेमोक्रेटिक कार्यकर्ता द्वारा की गई, यह दर्शाती है कि यह पार्टी प्रवासियों के समर्थन में किस हद तक जा सकती है। भारत में कांग्रेस पार्टी का रवैया भी डेमोक्रेटिक पार्टी जैसा ही है । अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी में अभी भी कुछ हद तक लोकतंत्र बचा है, जिसके कारण वहां सिर्फ एक प्रांत अशांत है। लेकिन भारत में कांग्रेस पार्टी में व्यक्तिवाद और तानाशाही हावी है, जहां एक व्यक्ति और उसकी विचारधारा का पूर्ण नियंत्रण है। यदि भारत में मोदी सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जैसी तेजी दिखाई होती, तो स्थिति भयावह हो सकती थी। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के शासित राज्यों की तो बात ही छोड़ दें, बीजेपी शासित राज्यों में भी न तो नागरिक सुरक्षित रहते, न ही सार्वजनिक संसाधन।

भारत का नागरिक टैक्स चुकाकर, वोट देकर, और सरकार की मशीनरी को चलाने में योगदान देकर भी अपनी सुरक्षा और अधिकारों के लिए संघर्ष करता है। फिर भी, एक राजनीतिक दल और उसकी विचारधारा के आगे उसके अधिकार और सोच समझ बौने पड़ जाते हैं। आज अमेरिका का एक प्रांत जिस तरह अशांत है, उसी तरह पूरा भारत धू-धू कर जल रहा होता। इसका कारण है भारत में कमजोर 'नागरिक सुरक्षा ढांचा' और 'राष्ट्रीय चेतना की कमी'। विचारधारा, संगठनवाद, और आदर्शवाद के चक्कर में फंसा भारतीय नागरिक या तो किंकर्तव्यविमूढ़ होकर मारा जाता है या हथियार उठाकर दूसरों को मारता।

सुप्रसिद्ध मौलिक विचारक बजरंग मुनि के अनुसार, विश्व की सभी समस्याओं के दो मूल कारण हैं: (1) व्यक्ति में बढ़ता आक्रोश और स्वार्थ, और (2) राजनीति का केंद्रीकरण। विचारधारा और संगठनवाद ने इन दोनों को और मजबूत किया है। उनके शब्दों में, "शराफत से समझदारी की ओर" बढ़ना ही एकमात्र समाधान है।

स्वराज बनाम सुराज्य: नारों की असल राजनीति- बृजेश रॉय

महिला सशक्तिकरण का नारा सिर्फ इसलिए दिया गया ताकि परिवार सशक्तिकरण को कमजोर किया जा सके।

दलित और पिछड़ा सशक्तिकरण का नारा इसलिए दिया गया ताकि समाज सशक्तिकरण को कमजोर किया जा सके।

सुराज्य का नारा इसलिए दिया जाता है जिससे कि स्वराज को कमजोर किया जा सके।

बेहतर सुविधा का नारा इसलिए दिया दिया जाता है जिससे कि स्वतंत्रता को कमजोर किया जा सके।

संसदीय लोकतंत्र को इसलिए मजबूत किया दिया जाता है जिससे कि लोकतांत्रिक संसद को कमजोर किया जा सके।

संवैधानिक सर्वोच्चता का का नारा इसलिए लगाया जाता है जिससे कि सामाजिक सर्वोच्चता को कमजोर किया जा सके।

लोकतंत्र को इसलिए मजबूत दिया जाता है जिससे कि जिससे लोक स्वराज को कमजोर किया जा सके।

संवैधानिक समाज की स्थापना का प्रयास इसलिए किया जाता है जिससे कि सामाजिक संविधान को कमजोर किया जा सके।

सुराज्य स्वराज ही स्वराज का असल शत्रु दिखाई देता है।

शक्ति का नियोजन सृजन का आधार है और इसका केन्द्रीयकरण विध्वंस का। : नरेन्द्र सिंह

गतांक से आगे ...

जीवन पथ

चिन्तन से उचाट होता है तो सामने माँ को पाता है। वह कहती हैं- किस सोच में डूबा हुआ है विवेक?

वह बडी श्रद्धा से माँ की तरफ देखते हुए कहता है- आपकी परवरिश में मिले शिक्षा प्रसाद के सार को समझने की कोशिश कर रहा हूँ माँ। जीवन को गुलामी से सदैव के लिए मुक्ति मिल जाए, ऐसा कोई उपाय खोजने की कोशिश कर रहा हूँ!

लेकिन देश को आजाद हुए तो जमाना बीत गया है!

लेकिन आपने ही तो मुझे बचपन से सिखाया है कि लोगों की गुलामी से कहीं ज्यादा भयानक, गलत व्यवस्था के ढाँचे की गुलामी होती है। देश तो कभी विदेशियों के नियन्त्रण से आजाद हुआ था। लेकिन सत्ता की अदला-बदली में हम अपनों के गुलाम होकर रह गए हैं। व्यक्ति बदले है व्यवस्था नहीं बदली। हमे क्रान्ति का यह बीज सूत्र अंगीकार करना होगा कि कुर्सी के मालिकों की अदला-बदली से समाज स्वतन्त्र नहीं होता है। हमे व्यक्ति की सत्ता उसके स्तर पर उसी को सौंपनी होगी। ....ऐसी आजादी तो सत्ताखोरों द्वारा स्थापित व्यवस्था के दकियानूसी पिंजर में कैद हमारी किंकर्तव्यविमुढता को लाचारी से देख रही है।

क्या तुझे उस लाचारी में कोई हलचल दिखायी नहीं देती है विवेक? .....माँ एक मार्गदर्शक की तरह सूक्ष्म विवेचना कर अपने बेटे से व्यवस्था के दर्शन पर टिप्पणी चाहती हैं। वह, माँ से आज्ञा लेकर उन्हें प्रत्युत्तर देता है- मुझे तो यह सब समुद्र की अपार जल राशि की तरह बिलकुल शांत दिखायी देता है। मैं तो यह दृश्य देखकर अचंभित भी हूँ और डरा हुआ भी हूँ। शक्ति का इतना शक्तिशाली केन्द्र और इतना शांत! घमण्ड का यह चारित्रिक दोष होता है कि वह धैर्य के स्वाभाविक गुण 'शान्ति' को उसकी कायरता मानता रहता है और धैर्य अपने 'दर्शन' अर्थात क्षमा की मर्यादाओं से आज्ञा लेकर जिस दिन इस पर प्रत्याक्रमण करता है! ....वह क्षण भर रूककर पुनः कहता है- यह साधारण व्यक्ति का कार्य नहीं होता है। ऐसे आवश्यक प्रत्याक्रमण के होने का मुझे केवल इतना दुख है कि धैर्य का आवेश भी अथाह समुद्र की शक्ति के जैसा ही होता है। क्या ऐसे समय में समाज का प्रत्याक्रमण अपनो की ही रक्त-रंजना करेगा माँ?

क्या तेरी नजर में गांधी का दर्शन भी समाज के किसी काम न आ सकेगा विवेक?

क्या गांधी के उदघोष करो या मरो से प्राप्त परिणाम को हम यथा उचित, जीवन की स्वतन्त्रता सुनिश्चित रखने में पालन कर पाए हैं?

माँ! विवेक के चेहरे पर मार्गदर्शक की तरह दृष्टि डालते हुए कहती हैं- तेरा विश्लेषण मुझे परिस्थितिजन्य प्रतीत होता है। तुझे इस दिशा में न सिर्फ अपनी वैचारिक प्रखरता बढानी चाहिए बल्कि कोई कार्य योजना भी समाज के सामने प्रस्तुत करनी चाहिए।

क्या मुझे यह कार्य करने की सलाह देने तक ही आप सीमित रहेंगी या ऐसा करने का आदेश भी देंगी, क्या मैं आपकी आज्ञा पाने का पात्र नहीं हूँ माँ?

एक स्तर पर आकर पुत्र तो माँ की आज्ञा और आशा तमाम मानसिकता का प्रतिनिधित्व करने का पात्र होता है विवेक! यह प्रकृति का नियम है। तुझे मैं आदेश दूँ तो भी तू समाज के पटल पर मेरी आशाओं का उत्तराधिकारी है और न दूँ तो भी।

मेरा अस्तित्व मुझ पर तेरे उपकार की देन है माँ। मेरे पास तेरी प्रार्थना करने तक के लिए भी शब्द नहीं हैं। अपने प्रति मेरी मौन श्रद्धा को स्वीकार करना और मुझे अपने आदेश का पात्र सदैव समझना।

माँ उसके सर को दुलारते हुए कहती हैं- विवेक! माँ, सन्तान को जन्म देकर उस पर उपकार नहीं करती, बल्कि वह उसे जीवन देकर अपने ही अस्तित्व को पुनर्जीवित करती है। तू मेरा कृतज्ञ नहीं है पुत्र, मेरी आशाओं का नया जीवन है। तू जीवन में जितना भी फलीभूत होगा, मेरी आत्मा उतनी ही सन्तुष्ट होगी।

सच में, ईश्वर की सृष्टि में त्याग का ऐसा कोई प्रतिमान नहीं है जिसे माँ के त्याग से श्रेष्ठ कहा जा सके। सन्तान, माँ की कृतज्ञता स्वीकार किए रहे; भला नियति से उसे और किसी निधि के मांगने की क्या जरूरत है!

हाँ! अब तू बडा हो गया है। मैं बातों में अब तुझसे नहीं जीत सकुँगी। खैर, अब तू खाना खा ले! मुन्नी भी स्कूल से आती होगी! फिर दोनों भाई-बहन खेत का कुछ काम निपटा आना।

लेकिन माँ भूख तो मुझे भी लगी है। तेरे हाथों का बना, खाना खाए बिना मन सन्तुष्ट नहीं होता। ....विवेक और माँ के संवाद के बीच, आदित्य बाहर से आते हुए कहता है।

हाँ! मुझे पता है मेरा दूसरा बेटा, मेरे पास जरूर आएगा। खाना तैयार है दोंनो खा लेना।

लेकिन मैं तेरा पहला बेटा क्यो नहीं हूँ माँ? क्योंकि तू घर विवेक से बाद पहुँचा है?

मैं तो दुनिया में भी इससे बाद में आया हूँ। लेकिन मुझे इस बात का कोई मलाल नहीं है। मैं दुनिया मे खुद को विवेक का मित्र ही नहीं भाई भी साबित करना चाहता हूँ।

वह तो तू है ही पगले! .....लेकिन आज तू विवेक के प्रति इतना भावुक क्यों हो रहा है? .....माँ उन दोनों को खाना परोसते हुए कहती हैं।

बस इसके बारे में बाहर कुछ बाते सुनी थी तो मन में ऐसा ख्याल आ गया।

खैर! अब बाते बन्द करो और दोनों आराम से खाना खाओ।

जी!....

क्रमशः ...